प्रथम विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण पुस्तिका

दिनांक 27 फरवरी, 2001 से 20 अप्रैल, 2001

द्वितीय सत्र

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2001
(फाल्गुन 8, 1922)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

1. राष्ट्रगान

सदन में राष्ट्र गान "वन्देमातरम्" की धुन बजाई गई.

2. बहिर्गमन

भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा श्री अजीत जोगी, सदस्य के शपथ ग्रहण पर आपत्ति व्यक्त कर शपथ का बहिष्कार करते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया.

3. शपथ

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - "छत्तीसगढ़ विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक -24 मरवाही (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य श्री रामदयाल उईके द्वारा विधान सभा के अपने स्थान से त्याग-पत्र दे दिया था जिसे उनके द्वारा दिनांक 26-12-2000 को स्वीकृत कर लिया गया था. इसकी सूचना पत्रक भाग - 2 क्रमांक 22, दिनांक 26-12-2000 द्वारा विधान सभा के समस्त माननीय सदस्यों को प्रेषित की गई थी."

श्री अजीत जोगी, सदस्य द्वारा शपथ ली गई तथा नामावली में हस्ताक्षर किए गए.

4. राज्यपाल का अभिभाषण

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि - सदन राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा करेगा.

राज्यपाल महोदय का चल समारोह के साथ सभा भवन में आगमन हुआ.

राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया.

राज्यपाल महोदय ने चल समारोह के साथ प्रस्थान किया.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला) पीठासीन हुए.]

5. म. प्र. शासन की आदिमजाति कल्याण मंत्री श्रीमती उर्मिला सिंह का स्वागत

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि म. प्र. शासन की आदिमजाति कल्याण मंत्री श्रीमती उर्मिला सिंह अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं. सदन उनका स्वागत करता है.

6. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि - महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.

श्रीमती प्रतिभा चन्द्राकर, सदस्य ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए दिनांक 13,14 एवं 15 मार्च, 2001 तथा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देने के लिए दिनांक 28 फरवरी, 2001 को अपराह्न 4.00 बजे तक का समय नियत किया गया.

7. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा विधान सभा नियमावली के नियम 9 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री गणेश शंकर बाजपेयी

(2) श्री धर्मजीत सिंह

(3) श्री डोमेंद्र भेंडिया

(4) प्रो. गोपाल राम

(5) श्री महेश तिवारी

(6) श्री रामविचार नेताम

8. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि - कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 26 फरवरी, 2001 में निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं वित्तीय कार्यों के लिए उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक तथा अन्य कार्य	निर्धारित समय
1.	छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि विधेयक, 2001 का उपस्थापन विचार एवं पारण.	30 मिनट
2.	वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण.	3 घन्टे
3.	वर्ष 2000-2001 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण.	3 घन्टे
4.	वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक (लेखानुदान) की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण.	30 मिनट
5.	भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) के निजीकरण के विरोध में शासकीय संकल्प.	6 घन्टे
6.	प्रदेश में व्याप्त सूखा, दुष्काल तथा उससे उत्पन्न रोजगार की स्थिति, पेयजल तथा निस्तारी पानी की समस्या के संबंध में सर्वश्री बनवारीलाल अग्रवाल, हर्षद मेहता, धर्मजीत सिंह एवं डोमेन्द्र भेड़िया, सदस्य की नियम 139 के अधीन प्राप्त सूचना पर चर्चा.	नियम को शिथिल कर इस पर चर्चा दो दिनों में 6 घन्टे

समिति द्वारा सिफारिश की गई है कि विधान सभा सत्र की अवधि में दिनांक 20 अप्रैल, 2001 तक वृद्धि की जाए.

समिति द्वारा यह भी सिफारिश की गई है कि सभा की बैठकें पूर्वाह्न 10.30 बजे से 1.00 बजे के स्थान पर पूर्वाह्न 11.00 बजे से 1.30 बजे तक रखी जाए तथा अपराह्न में दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.00 बजे तक रखी जाए.

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 9 मार्च व 12 मार्च, 2001 होली के कारण अवकाश रखा जाए.

श्री रविन्द्र चौबे, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-

अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों, वित्तीय अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

पूर्वाह्न 11.42 बजे विधान सभा बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2001 (फाल्गुन 9, 1922) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2001

(फाल्गुन 9, 1922)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए]

निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य श्रीमती संयोगिता देवी देशमुख, भूतपूर्व संसद सदस्य श्रीमती विजया राजे सिंधिया, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री सर्वश्री डॉ. सुशीला नायर, इंद्रजीत गुप्त, व्ही. एन. गाडगिल, कर्नाटक राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जे. एच. पटेल, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री भवानीलाल वर्मा, संपत सिंह भंडारी, जवानसिंह पटेल, श्रीमती रानी प्रेमकुमारी राजे, झंकार सिंह, चित्रकांत जायसवाल, प्रसिद्ध साहित्यकार एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री सुंदरलाल त्रिपाठी एवं गुजरात राज्य में आये भूकम्प से मृत व्यक्तियों के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए गए.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय, श्री दाऊराम रत्नाकर एवं श्री हीरासिंह मरकाम सदस्यों ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए.

सदन द्वारा दो-मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त जन के लिए संवेदना प्रकट की गई.

दिवंगतों के सम्मान में अपराह्न 12.12 बजे विधान सभा गुरुवार, दिनांक 1 मार्च, 2001 (फाल्गुन 10, 1922) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

गुरुवार, दिनांक 1 मार्च, 2001

(फाल्गुन 10, 1922)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए]

(1) प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 22 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये.

(2) औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था.

तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक - 147) पर माननीय पंचायत मंत्री के आशय के उत्तर कि "क से घ" तक "जानकारी एकत्रित की जा रही है" पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सर्वश्री बनवारीलाल अग्रवाल एवं महेश तिवारी ने यह आपत्ति उठाई कि 21 दिन पहले प्रश्न पूछने के बाद भी जानकारी अप्राप्त है, यह उचित नहीं है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस संबंध में यह व्यवस्था दी गई इसमें दो मत नहीं है कि 21 दिनों पहले या काफी पर्याप्त समय पहले प्रश्न पूछे जाते हैं. 21 दिन का समय पर्याप्त है यदि इसमें कोई दिक्कत है तो समय के पहले आवेदन करना चाहिये. इसलिये भविष्य में संसदीय कार्य मंत्री जी इस चीज को देखें. मैं इस प्रश्न का समय बढ़ा देता हूँ जब भी दूसरी तारीख इस विभाग के उत्तर देने की है उस तारीख को यह प्रश्न पहले नम्बर पर आयेगा. भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए.

प्रश्नोत्तर सूची में 9 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल की समाप्ति पर अध्यक्ष महोदय द्वारा जैसे ही प्रदेश के अनेक भागों से मलेरिया से हुई मौतों के संबंध में स्थगन प्रस्ताव को लेने की घोषणा की इस पर नेता प्रतिपक्ष श्री नन्दकुमार साय व श्री महेश तिवारी (सदस्य) ने मांग की कि सर्वप्रथम अकाल, पलायन एवं सूखा राहत संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर सदन में चर्चा कराई जाये.

(3) औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था.

ससंदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि सूखा, अकाल, रोजगार, पेयजल और निस्तार पर चर्चा के संबंध में नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में समय मुकर्रर किया जा चुका है. सूखा राहत पर 2 दिन, 139 नियम के अन्तर्गत इस पर चर्चा होगी.

उक्त औचित्य के प्रश्न पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि इस सदन के समक्ष कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया. उस प्रतिवेदन में अकाल, पलायन, पेयजल की समस्या, सूखे की समस्या, बेरोजगारी की समस्या इन सारे विषयों पर पूरे 2 दिन नियमों को शिथिल करते हुये 139 में समय-सीमा को शिथिल करते हुये चर्चा कराना स्वीकार कर लिया है. साथ ही यह तय किया गया कि इसके लिये 6 घंटे का समय रखा जाये और इस निर्णय को सदन ने माना. इस नियम के विपरीत न आप जा सकते हैं और न मैं जा सकता हूँ और इसलिये वह निर्धारित है. कृपा करके सदन ने, जो सर्वोपरि है, निर्णय ले किया है.

मान. सदस्य श्री बनवारीलाल अग्रवाल ने सूखा राहत आदि विषयों पर नियम 139 के अन्तर्गत आवेदन किया है. आप कितनी भी पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस की किताबें, नियमों, व्यवस्था को देख लीजिये, जिस विषय पर ध्यानाकर्षण, 139 से चर्चा आ जाती है फिर स्थगन नहीं आता. स्थगन तो तब आता है जब कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता. मैं इस विषय पर 2 दिन लगातार चर्चा करवाऊंगा और आपको पूरा-पूरा समय दूंगा.

(अकाल, पलायन एवं सूखा राहत संबंधी स्थगन प्रस्ताव की सर्वप्रथम चर्चा कराने की मांग करते हुये भारतीय जनता पार्टी सदस्य गर्भगृह में आ गये तथा कुछ समय पश्चात् अध्यक्ष महोदय के निर्देशों पर अपने आसन पर वापस चले गये.)

4. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्य सूची में उल्लेखित दोनों ध्यानाकर्षण सूचनाओं को आगामी तिथियों में लेने की घोषणा की गई.

5. शासकीय संकल्प

वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री श्री विधान मिश्रा द्वारा "भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमि." (बाल्को) के निजीकरण के विरोध के संबंध में संकल्प प्रस्तुत किया गया.

[सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए]

संकल्प प्रस्तुत करने के संबंध में विपक्ष द्वारा आपत्ति उठाई गई तथा विपक्ष द्वारा संकल्प के संबंध में संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति चाही गई. सभापति महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति न देने पर विपक्ष द्वारा विरोध करते हुए बहिर्गमन किया गया.

(1.23 बजे से 3.02 बजे तक अंतराल)

[सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए]

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री विधान मिश्रा ने संकल्प पर भाषण दिया.

संकल्प के संबंध में सदस्य श्री बनवारी लाल अग्रवाल द्वारा माननीय अध्यक्ष की अनुमति से संशोधन प्रस्तुत किया तथा भाषण दिया.

संकल्प पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

1. श्री हीरा सिंह मरकाम.
2. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
3. श्री अमर अग्रवाल
4. श्री घनाराम साहू

[सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए]

5. नारायण प्रसाद चंदेल.
6. प्रो. गोपाल राम.
7. श्री लखमा
8. श्री अजय चंद्राकर
9. श्री अग्नि चंद्राकर
10. श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर

(सभापति महोदय द्वारा सदन के समय में 15 मिनट की वृद्धि की गई जिस पर सदन ने सहमति प्रदान की)

11. श्री माधव सिंह ध्रुव.
12. डॉ. हरिदास भारद्वाज सदस्य ने संकल्प पर संशोधन प्रस्तुत किया.

13. श्री ननकी राम कंवर.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

(चर्चा अपूर्ण)

6. अशासकीय संकल्प का समय निर्धारण किया जाना

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अशासकीय संकल्प प्रस्तुत करने के संबंध में निम्नलिखित सूचनाओं पर समय निर्धारित किया गया.

1.	अशासकीय संकल्प क्रमांक - 1 श्री राम विचार नेताम, सदस्य	45 मिनट
2.	अशासकीय संकल्प क्रमांक - 5 श्री महेश तिवारी, सदस्य	1 घन्टा
3.	अशासकीय संकल्प क्रमांक - 2 श्री बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य	45 मिनट

5.17 बजे सदन की कार्यवाही दिनांक 2 मार्च, 2001 (फाल्गुन 11, 1922) पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च, 2001

(फाल्गुन 11, 1922)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए.]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 11 तारांकित प्रश्नों में से 9 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में चार अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यानाकर्षण

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने राजधानी बनने के बाद रायपुर शहर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के संबंध में लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री मनोज सिंह मण्डावी, राज्यमंत्री, लोक निर्माण ने वक्तव्य दिया.

2. कार्यसूची में दर्ज क्रमांक 2 पद ध्यानाकर्षणकर्ता सदस्य श्री ननकीराम कंवर के अनुपस्थित रहने से संबंधित सूचना व्यपगत मानी गई.

3. नियम 267-क अधीन विषय

1. श्री गंगूराम बघेल, सदस्य ने ग्राम अड़सेना विकासखण्ड तिल्दा की श्रीमती गंगाबाई की राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत प्राप्त राशि में धोखाधड़ी.

2. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने छत्तीसगढ़ राज्य के गुढ़ियारी, शुक्रवारी व श्रीनगर रोड के नागरिकों को ट्रकों के आवागमन से परेशानी होने,

3. श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने जिला एवं विकासखण्ड राजनांदगांव के परीक्षा केन्द्रों को बंद किये जाने, एवं

4. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने ग्राम सरोना की एक महिला की नसबंदी आपरेशन के दौरान डाक्टर की लापरवाही से हुई मृत्यु संबंधी शून्यकाल की सूचनायें प्रस्तुत की.

4. शासकीय संकल्प

श्री विधान मिश्रा, राज्यमंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग द्वारा "भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) के निजीकरण के विरोध के संबंध में संकल्प पर चर्चा के पुनर्ग्रहण" पर निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया-

1. श्री गंगूराम बघेल, सदस्य
2. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य

[सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुये.]

3. श्री परेश बागबाहरा, सदस्य
4. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुये.]

5. श्री महेश तिवारी, सदस्य
6. श्री रविन्द्र चौबे, मंत्री, लोक निर्माण
7. श्री नन्दकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष
8. श्री अजीत जोगी, मुख्यमंत्री

संकल्प पर सदस्य श्री बनवारीलाल अग्रवाल एवं श्री हरिदास भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत संशोधन अस्वीकृत हुये.

संकल्प की स्वीकृति पर मत विभाजन हुआ. संकल्प के पक्ष में 41 मत तथा विपक्ष में 19 मत प्राप्त हुये.

संकल्प स्वीकृत हुआ.

5. अशासकीय संकल्प

1. कार्यसूची में दर्ज पद क्रमांक 4 के उप पद (1) पर श्री रामविचार नेताम, सदस्य के अशासकीय संकल्प की सूचना उनके अनुपस्थित रहने से व्यपगत मानी गई.
2. कार्य सूची में दर्ज पद क्रमांक 4 के उप पद (2) पर श्री महेश तिवारी सदस्य के अशासकीय संकल्प को सदन की अनुमति से अगले सप्ताह के लिये स्थगित किया गया.
3. श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि "यह सदन कोरबा जिला कोरबा से सीधे दिल्ली तक द्रुतगामी रेलगाड़ी चलाने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध करता है.

संकल्प स्वीकृत हुआ.

अपरान्ह 3.03 बजे विधान सभा सोमवार, दिनांक 5 मार्च 2001 (फाल्गुन, 14, 1922) के पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

सोमवार, दिनांक 5 मार्च, 2001

(फाल्गुन 14, 1922)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित एक प्रश्न का उत्तर तथा 18 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था.

प्रश्नकाल की समाप्ति पर श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने सूखा, पलायन तथा पेयजल की समस्या संबंधी स्थगन पर चर्चा कराने की मांग की. श्री बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि - माननीय अध्यक्ष ने स्थगन पर चर्चा स्वीकार कर ली थी और चूंकि पांच बजे छुट्टी कर दी गई थी और विधान सभा स्थगित कर दी गई थी इसलिये चर्चा नहीं हो पाई.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई थी कि उस दिन यह कहा गया था कि सायं 5.00 बजे से रात को 11.00 बजे तक बैठकर उस पर चर्चा कराई जा सकती है, लेकिन आदरणीय नेता प्रतिपक्ष और आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि वे लोग अतिरिक्त बैठकर चर्चा के लिये तैयार नहीं हैं और यह विषय निर्णय हेतु मुझ पर छोड़ा गया था. सूखे पर चर्चा के लिये कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्ताव स्वीकार किये जाने और स्थगन प्रस्ताव पर बहस पर अतिरिक्त बैठकर चर्चा की आपके द्वारा अनिच्छा जाहिर किये जाने पर मेरे पास वैसे भी कोई विकल्प नहीं है. मैं 13, 14 एवं 15 मार्च राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिये घोषित कर चुका हूं. 7 एवं 8 मार्च पूरे 2 दिन इस पर चर्चा के लिये मिल रहे हैं. पूरी इच्छा से जितनी चर्चा करना चाहें करें मुझे आपत्ति नहीं है.

3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार :-

(क) छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अध्यादेश, 2001 (क्रमांक - 1 सन् 2001) तथा

(ख) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक - 2, सन् 2001) पर रखें.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 तथा उसके साथ पठित मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 (1) की अपेक्षानुसार-

(क) वित्त लेखे 1999-2000

(ख) विनियोग लेखे वर्ष 1999-2000

(ग) भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का दिनांक 31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन क्रमांक - 1 (राजस्व प्राप्तियां) पटल पर रखे.

5. स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश के अनेक भागों से मलेरिया से हुई मौतों के संबंध में सर्वश्री बनवारीलाल अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल की स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय अध्यक्ष ने पढ़ी. मा. मुख्यमंत्री ने विषय की गंभीरता दर्शाते हुये उसे चर्चा हेतु ग्राह्य

करने का अनुरोध किया. अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर अपराह्न 3.30 बजे से चर्चा की अनुमति प्रदान की गई.

[सभापति महोदय (श्री डोमेन्द्र भेंडिया) पीठासीन हुये]

6. ध्यानाकर्षण सूचना

1. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने प्रदेश में सीमेंट उत्पादकों द्वारा मूल्यों में वृद्धि किये जाने की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री महेन्द्र कर्मा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. कार्यसूची में दर्ज क्रमांक 2 पर ध्यानाकर्षणकर्ता सदस्य श्री नारायण प्रसाद चंदेल के अनुपस्थित रहने से संबंधित सूचना व्यपगत मानी गई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुये]

7. नियम 267-क के अधीन विषय

1. श्री रजिन्दर पाल सिंह भाटिया, सदस्य ने इंदिरा सहायक योजना का लाभ गांव वालों को न मिलने,
2. श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य ने कटघोरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत 52 गांवों में पेयजल समस्या होने, तथा
3. श्री रामलाल भारद्वाज, सदस्य ने दुर्ग जिले के भिलाई नगर सीमा के भीतर स्वीकृत शारदा पारा आवासीय योजना के आवंटितों के द्वारा भू-खण्ड पर निर्माण न किये जाने, संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की.

8. वर्ष 2000-2001 की मांगों पर मतदान

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिनांक 1 नवम्बर, 2000 से दिनांक 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, एवं 83 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तीन हजार दो सौ इकतालिस करोड़, छियानवे लाख, अस्सी हजार रुपये की राशि दी जाए. मांगों के संदर्भ में वित्त मंत्री जी का भाषण हुआ.

चर्चा उपरांत मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 1) विधेयक, 2001 पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस पर विचार किया जाये.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री महेश तिवारी
2. श्री अजय चन्द्राकर

[सभापति महोदय (श्री महेश तिवारी) पीठासीन हुये]

3. श्री बनवारीलाल अग्रवाल
4. श्री रामलाल भारद्वाज
5. श्री शिवरतन शर्मा

(1.30 से 2.33 बजे तक अंतराल)

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

4. औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था

श्री महेश तिवारी, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि - प्रतिपक्ष के नेता जब बोलने के लिये खड़े हुये थे तो उस समय मंत्रीगण खड़े होकर टोका-टाकी कर रहे थे और यदि मंत्रीगण भी नारेबाजी करेंगे तो सदन कैसे चलेगा ?

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस संबंध में व्यवस्था दी गई कि - आचरण संहिता और संसदीय परम्परा का ध्यान सबको रखना चाहिये. नारेबाजी केवल मंत्रियों के लिये ही नहीं सब के लिये वर्जित है.

व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 12.21 बजे आधे घन्टे के लिये स्थगित की गई. सभा की कार्यवाही 1.02 बजे पुनः प्रारंभ हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुये]

5. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि कक्ष में हुई चर्चानुसार श्री महेश तिवारी, सदस्य द्वारा दिया गया स्थगन प्रस्ताव गुरुवार, 8 मार्च, 2001 को लिया जायेगा तथा कल ही इस पर चर्चा होगी तथा आज की कार्यसूची में दर्ज ध्यानाकर्षण सूचनायें गुरुवार, दिनांक 8 मार्च, 2001 के लिये स्थगित की जाती हैं.

माननीय अध्यक्ष ने नियम 139 की चर्चा प्रारंभ करने हेतु सदस्य श्री बनवारीलाल अग्रवाल का नाम पुकारा.

(व्यवधान के बीच भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये और तत्काल स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की माँग की गई)

शोरगुल के बीच अध्यक्ष महोदय ने यह कहते हुये कि - स्थगन प्रस्ताव को कल लिये जाने की घोषणा के बाद भी ऐसा लगता है कि सदस्यगण सूखे पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, सदन की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 8 मार्च, 2001 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित कर दी.

1.19 बजे सदन की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 8 मार्च, 2001 (फाल्गुन 17, 1922) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

बुधवार, दिनांक 7 मार्च, 2001

(फाल्गुन 16, 1922)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में 13 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्न संख्या 10 (क्र. 649) के साथ संलग्न परिशिष्ट में अपूर्ण जानकारी मिलने के कारण अध्यक्ष महोदय ने प्रश्नकर्ता श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के अनुरोध पर उक्त प्रश्न आगामी प्रश्न दिवस तक के लिये स्थगित किया.

2. असंसदीय शब्दों का विलोपन

प्रश्न संख्या 11 (क्र. 131) पर चर्चा के दौरान श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य द्वारा लोक निर्माण मंत्री श्री रविन्द्र चौबे के लिये प्रयुक्त जाति सूचक शब्दों को अध्यक्ष महोदय द्वारा विलोपित किये जाने के पश्चात् श्री रविन्द्र चौबे, लोक निर्माण मंत्री ने आसंदी से अनुरोध किया कि श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य को इन शब्दों के लिये खेद व्यक्त करना चाहिये. सदन में इस तरह की भाषा का उपयोग उचित नहीं है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस संबंध में व्यवस्था दी गई कि सदन की एक संसदीय भाषा है. इस नये प्रदेश के दो करोड़ लोग सदन की कार्यवाही को ध्यान में देखते हैं कि उनके जनप्रतिनिधि सदन में कैसा तथा किस प्रकार का व्यवहार करते हैं. पहले भी कहा गया है कि सदन में किसी भी प्रकार के जाति सूचक शब्द कहना, किसी रिश्तेदार का नाम बोलना गलत है इसलिये उन शब्दों को विलोपित कर दिया गया है. भविष्य में इस तरह की बात करने के पहले प्रमाण पेश कर नियमानुसार उसकी अनुमति ली जाये अन्यथा इस प्रकार की बात सदन में नहीं की जानी चाहिये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 13 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 22 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

प्रश्नकाल की समाप्ति पर अध्यक्ष महोदय द्वारा जैसे ही कार्यसूची के पद क्रमांक 2 पर दर्ज ध्यानाकर्षण सूचनाएं लेने की घोषणा की गई. श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य ने मुख्यमंत्री द्वारा बाल्को संयंत्र के संबंध में भड़काऊ भाषण देने से कानून व्यवस्था की स्थिति तहस-नहस होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की माँग की तथा कई प्रतिपक्षी सदस्य खड़े होकर स्थगन एवं ध्यानाकर्षण की दी गई सूचनाओं पर चर्चा की माँग करने लगे.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि इस सदन में शून्यकाल में इस प्रकार की चर्चा की कोई परम्परा स्थापित नहीं की गई हैं, जो भी स्थगन या ध्यानाकर्षण ग्राह्य किये गये हैं वे अपने समयानुसार आयेंगे. जिन माननीय सदस्यों के स्थगन या ध्यानाकर्षण नहीं आये हैं उसके बावजूद भी उन्हें कुछ कहना है, रिप्रजेन्टेशन करना है तो अध्यक्ष को अलग से आकर बता दें. निश्चित रूप से उसको सहानुभूतिपूर्वक सुना जायेगा और देखने की कोशिश की जायेगी लेकिन यहां पर इस प्रकार की कोई परम्परा या व्यवस्था स्थापित नहीं की गई हैं.

(भारी शोरगुल के बीच भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये तथा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की माँग करने लगे.)

(इंजी. रामेश्वर खरे, सदस्य गर्भगृह में अध्यक्ष की आसंदी तक गये तथा वापस आसन पर चले गये)

(व्यवधान के बीच दोनों पक्षों के सदस्य नारे लगाते रहे)

4. औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था

श्री महेश तिवारी, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि - प्रतिपक्ष के नेता जब बोलने के लिये खड़े हुये थे तो उस समय मंत्रीगण खड़े होकर टोका-टाकी कर रहे थे और यदि मंत्रीगण भी नारेबाजी करेंगे तो सदन कैसे चलेगा ?

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस संबंध में व्यवस्था दी गई कि - आचरण संहिता और संसदीय परम्परा का ध्यान सबको रखना चाहिये, नारेबाजी केवल मंत्रियों के लिये ही नहीं सब के लिये वर्जित है.

व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 12.21 बजे आधे घन्टे के लिये स्थगित की गई. सभा की कार्यवाही 1.02 बजे पुनः प्रारंभ हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुये]

5. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि कक्ष में हुई चर्चानुसार श्री महेश तिवारी, सदस्य द्वारा दिया गया स्थगन प्रस्ताव गुरुवार, 8 मार्च, 2001 को लिया जायेगा तथा कल ही इस पर चर्चा होगी तथा आज की कार्यसूची में दर्ज ध्यानाकर्षण सूचनायें गुरुवार दिनांक 8 मार्च, 2001 के लिये स्थगित की जाती हैं.

माननीय अध्यक्ष ने नियम 139 की चर्चा प्रारंभ करने हेतु सदस्य श्री बनवारीलाल अग्रवाल का नाम पुकारा.

(व्यवधान के बीच भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये और तत्काल स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई)

शोरगुल के बीच अध्यक्ष महोदय ने यह कहते हुये कि - स्थगन प्रस्ताव को कल लिये जाने की घोषणा के बाद भी ऐसा लगता है कि सदस्यगण सूखे पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, सदन की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 8 मार्च, 2001 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित कर दी.

1.19 बजे सदन की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 8 मार्च, 2001 (फाल्गुन 17, 1922) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

गुरुवार, दिनांक 8 मार्च, 2001

(फाल्गुन 17, 1922)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए]

1. राष्ट्रकुल दिवस का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा राष्ट्रकुल दिवस, 2001 का अनौपचारिक उल्लेख करते हुये उद्गार व्यक्त किये गये.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी तथा सदस्य श्री महेश तिवारी ने भी उद्गार व्यक्त किये.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 13 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 21 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्नकाल समाप्ति की घोषणा करते ही सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा खड़े होकर बाल्को संयंत्र में दलाली संबंधी समाचार पत्रों एवं बैनरों को हाथ में लहराते हुये प्रदर्शन किया गया.

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भगृह में आ गये)

व्यवधान के बीच अध्यक्ष महोदय ने कोरबा स्थित बाल्को प्लांट बन्द होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी स्थगन प्रस्ताव की सूचना पढ़ना प्रारंभ की.

व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 12.01 बजे आधे घंटे के लिये स्थगित कर दी गई. सभा की कार्यवाही 12.30 बजे पुनः प्रारंभ हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला) पीठासीन हुये]

(व्यवधान के बीच सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई)

व्यवधान जारी रहने से सदन की कार्यवाही 12.35 बजे आधे घंटे के लिये पुनः स्थगित कर दी गई तथा सभा की कार्यवाही 1.05 बजे पुनः प्रारंभ हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला) पीठासीन हुये]

लगातार व्यवधान होने से माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही 13 मार्च, 2001 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

अपराह्न 1.09 बजे विधान सभा मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 2001 (फाल्गुन 22, 1922) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 2001

(फाल्गुन 22, 1922)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में 20 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था.

प्रश्नकाल की समाप्ति पर नेता प्रतिपक्ष श्री नन्दकुमार साय तथा श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य ने मांग की कि कोरबा स्थित बाल्को प्लांट बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना को सदन में पढ़ा जाये तथा उस पर शासन का उत्तर लिया जाये.

श्री बृजमोहन अग्रवाल तथा श्री महेश तिवारी, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 16 (1) (ग) में दिया हुआ है कि "नियम 57 के अधीन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने के प्रयोजन के लिये वाद-विवाद रोका जा सकेगा" अतः स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद को रोका जा सकता है.

उपरोक्त के संबंध में माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि-

नियम 16 राज्यपाल का अभिभाषण और सभा को संदेश से संबंधित है इसमें दिया है - 16 (1) इस बात के होते हुये भी कि कोई दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिये नियत किया जा चुका है :-

(क) ऐसे दिन विधेयक या विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव किये जा सकेंगे और विधेयक या विधेयकों को पुरःस्थापित किया जा सकेगा, या

(ख) ऐसे दिन अभिभाषण पर सभा द्वारा चर्चा प्रारंभ किये जाने या जारी रखे जाने से पूर्व केवल औपचारिक रूप का अन्य कार्य किया जा सकेगा, और

(ग) नियम 57 के अधीन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने के प्रयोजन के लिये वाद-विवाद रोका जा सकेगा.

इसमें थोड़ा सा और स्पष्ट कर देता हूँ, नियम 57 को पढ़ देता हूँ :- प्रस्ताव मध्याह्नोत्तर 3.00 बजे या यदि सभा नेता से परामर्श के पश्चात् अध्यक्ष ऐसा निर्देश दें तो उससे पहले किसी भी समय जबकि उस दिन का कार्य समाप्त हो जाय, लिया जायेगा.

इस मामले में नियम 57 का प्रश्न इसलिये उपस्थित नहीं होता क्योंकि स्थगन प्रस्ताव चर्चा के लिये ग्राह्य ही नहीं हुआ है, ग्राह्य होने के बाद ही चर्चा को रोका जा सकेगा.

अभी तो स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य ही नहीं हुआ है, प्रस्तुत ही नहीं हुआ है खाली उसको प्रस्तुत करने का उपक्रम था परम्परा अनुसार यदि प्रस्ताव चर्चा के लिये ग्राह्य हो चुका हो तो ही उसको वाद-विवाद को रोका जा सकेगा. इसका मतलब यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. स्थगन प्रस्ताव सर्वोच्च प्राथमिकता का होता है, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण को उससे भी ज्यादा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है क्योंकि राज्यपाल महोदय का एक संवैधानिक सर्वोच्च पद है और वह पक्ष-विपक्ष दोनों के ऊपर है, इसलिये स्थगन प्रस्ताव के ऊपर इनके अभिभाषण को ज्यादा वरीयता दी गई है. दूसरी बात में अभी स्थगन प्रस्ताव रख ही नहीं रहा हूँ और इस नियम और जारी परम्परा के अन्तर्गत प्रस्ताव रखे जाने के बावजूद रोका जा सकता है इसलिये उसका प्रश्न ही नहीं उठता है इसलिये अब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी.

3. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन में घोषणा की कि आज की कार्य सूची में दर्ज ध्यानाकर्षण सूचनाएं बुधवार, 14 मार्च, 2001 को ली जायेंगी.

4. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा.

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की.

[सभापति महोदय, (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए]

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि - राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में 23 माननीय सदस्यों से संशोधन की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उन्हें अग्राह्य कर दिया गया है.

निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुतकर्ता सदस्यों के नाम तथा संशोधन क्रमांक पढ़े गए सदन में उपस्थित सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए माने गए :-

सदस्य का नाम	संशोधन क्रमांक
श्री रामविचार नेताम, सदस्य	1
श्री तरुण चटर्जी, सदस्य	2
श्री बृजमोहन अग्रवाल	3
श्री महेश तिवारी	4
श्री बनवारीलाल अग्रवाल	7
श्री धर्म कौशिक	8
श्री अजय चन्द्राकर	9
डॉ. हरिदास भारद्वाज	10
श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया	11
डॉ. शक्राजीत नायक	13
श्री छतराम देवांगन	14
श्री ननकीराम कंवर	15
श्री गंगूराम बघेल	16
श्री मदनसिंह डहरिया	17
श्री शिवरतन शर्मा	18
श्री परेश बागबाहरा	19
श्री लीलाराम भोजवानी	20
श्री जगजीत सिंह मकड़	21
श्री नारायण प्रसाद चंदेल	22

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत संशोधन में चर्चा हेतु 9 घंटे का समय उपलब्ध है. विभिन्न दलों की दलीय स्थिति के आधार पर निम्नानुसार समय नियत किया जाता है :-

1.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	5 घंटे
2.	भारतीय जनता पार्टी	3 घंटे 30 मिनट
3.	बहुजन समाज पार्टी	12 मिनट
4.	गोंडवाना गणतंत्र पार्टी	6 मिनट
5.	निर्दलीय	6 मिनट

इसमें शासन के द्वारा दिए जाने वाले उत्तर का समय भी सम्मिलित है.

राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव तथा संशोधन पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

1. श्री तरुण चटर्जी

(1.31 बजे से 2.34 बजे तक अंतराल)

[सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए]

2. श्री ननकीराम कंवर,
3. श्रीमती प्रतिभा चंद्राकर
4. श्री लीलाराम भोजवानी
5. श्री नारायण प्रसाद चंदेल

[सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए]

6. श्री अजय चन्द्राकर

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

7. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
8. डॉ. शक्राजीत नायक

(भाषण अपूर्ण)

सायं 5.00 बजे विधान सभा बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 2001 (फाल्गुन 23, 1922) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 2001

(फाल्गुन 23, 1922)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए]

प्रश्नकाल शुरू होते ही सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार संबंधी विभिन्न समाचार-पत्रों को हाथों में लहराते हुए नारे लगाए गए.

व्यवधान के बीच भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आ गए.

लगातार आरोप-प्रत्यारोप व व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 11.05 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित की गई. 11.37 बजे कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

कार्यवाही प्रारंभ होते ही पुनः आरोप-प्रत्यारोप के चलते भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भगृह में आ गए.

व्यवधान जारी रहने से सदन की कार्यवाही 11.45 बजे तक एक घंटे के लिए स्थगित की गई. 12.45 बजे कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि - कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च, 2001 को सम्पन्न हुई थी, जिसमें निम्नलिखित कार्यों पर उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

(1) प्रदेश में लागू आबकारी नीति के कारण शराब की खपत बढ़ने से सामाजिक वातावरण दूषित होने के संबंध में श्री डोमेंद्र भेंडिया, सदस्य की नियम 139 के अधीन चर्चा- — 1 घंटा 30 मिनट

(2) सिंचाई बांध, तालाब, नहर, सड़क, कारखाना, उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रमों के लिए अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि वितरित न किए जाने के संबंध में श्री डोमेंद्र भेंडिया, सदस्य की नियम 139 के अधीन चर्चा- — 1 घंटा 30 मिनट

समिति द्वारा यह भी सिफारिश की गई है कि सभा की बैठकें दिनांक 16 एवं 19 मार्च, 2001 को न रखी जाए.

संसदीय कार्य मंत्री, श्री रविन्द्र चौबे ने प्रस्ताव किया कि - "सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है."

- प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

व्यवधान के मध्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भगृह में आए तथा कुछ समय उपरांत वापस अपने आसन पर चले गए.

लगातार व्यवधान होने से माननीय अध्यक्ष द्वारा विधान सभा गुरुवार दिनांक 15 मार्च, 2001 (फाल्गुन 24, 1922) पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

गुरुवार, दिनांक 15 मार्च, 2001

(फाल्गुन 24, 1922)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 26 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 31 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर शामिल थे.

2. औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था

प्रश्नकाल की समाप्ति पर श्री महेश तिवारी, सदस्य ने मांग की कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 164, 165, 166 के अन्तर्गत उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार की सूचना को ग्राह्य कर उस पर चर्चा कराई जाए. सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस मामले को शून्यकाल में उठाने की अनुमति देने के उद्देश्य से व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि लोक सभा, राज्य सभा, मध्यप्रदेश विधान सभा में यह परम्परा रही है कि अगर सदस्य किसी विषय महत्वपूर्ण विषय का उल्लेख करना चाहते हैं, तो वे उसका उल्लेख कर सकते हैं. कार्यसूची में छपने के बाद भी ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा नहीं होना सदस्यों के अधिकारों का हनन है. सत्ता पक्ष के द्वारा सदन चलाने में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है. यह नई परम्परा जो सत्ता पक्ष के द्वारा अपनाई गई है, वह उचित नहीं है. शून्यकाल की व्यवस्था नहीं होने से बहुत सारे सदस्यों को महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में उठाने का मौका नहीं मिल रहा है.

उपरोक्त संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि :-

व्यवस्था के प्रश्न की मूल अवधारणा यह है जिस संबंध में कार्यवाही चल रही है, उस कार्यवाही में प्रक्रियाजन्य कोई अव्यवस्था होती है तो उसे व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है. इसलिए जिन व्यवस्था के प्रश्नों पर माननीय सदस्यों की मनचाही बातें आती है, वास्तव में वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है. पहली बात यह कही गई कि प्रश्नकाल के बाद ऐसी परम्परा रही है कि माननीय सदस्य अगर कोई बात कहना चाहते हैं तो उस बात को कह सकते हैं. मध्यप्रदेश विधान सभा में जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव रखा था और वह किन्हीं कारणों से नहीं आ रहा था या अग्राह्य हो गया तो उस पर पुनर्विचार करने के लिए एक-एक मिनट का समय देने की परम्परा थी. जैसा कि विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है. मध्यप्रदेश विधान सभा में शून्यकाल की परम्परा को समाप्त कर दिया गया है. हमारे यहाँ नियम समिति की बैठक में सभी पक्षों के सदस्यों के विचार जानने के बाद यदि इस प्रकार का निर्णय किया जाता है, तो यहाँ पर भी एक-एक, दो-दो मिनट बोलने का अवसर दिया जा सकता है. उस पर विचार कर लेंगे लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. दूसरी बात यह कही गई कि लगातार सदन में अवरोध होता रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा दुःख मुझे है. वास्तव में सदन शालीनतापूर्वक चले. छत्तीसगढ़ से एक नया संदेश पूरे देश में जाए इससे संसदीय संस्कृति का न केवल अनुरक्षण होगा बल्कि उन्नयन भी होगा.

तीसरी बात, विशेषाधिकार की जो सूचना प्राप्त हुई है, उस सूचना पर सम्बन्धित से पूछा जाएगा, विचार भी किया जाएगा और अगर उसकी आवश्यकता हुई तो सदन में भी लाया जाएगा. बे-वक्त और बिना अनुमति के प्रक्रिया पर चर्चा न तो हुई है और न ही होनी चाहिए. अब जैसा कि आपने कहा कि ध्यानाकर्षण पर चर्चा नहीं हो पा रही है तो अब सीधे-सीधे ध्यानाकर्षण पर आयें.

व्यवस्था के तत्काल बाद नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय तथा श्री महेश तिवारी सदस्य ने माँग की कि कोरबा स्थित बाल्को प्लांट बंद होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जाए.

इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि स्थगन प्रस्ताव आज नहीं लिया जाएगा. स्थगन अभी अग्राह्य नहीं किया गया है तथा वह लंबित है अभी ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी.

3. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली 138 (1) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती है. सदस्यों की ओर से भी अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज दिनांक 15 मार्च, 2001 की कार्यसूची में तीन सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा दी है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-दो प्रश्न पूछकर तीनों ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर आधे घण्टे में चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करें.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.

सदन द्वारा सहमति दी गई.

(नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भगृह में आ गए तथा उनके द्वारा नारे लगाए गए)

व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 12.31 बजे 15 मिनट के लिए स्थगित की गई. सभा की कार्यवाही 1.01 बजे पुनः प्रारंभ हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

4. औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था

कार्यवाही पुनः प्रारंभ होते ही नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने माँग की कि स्थगन प्रस्ताव ध्यानाकर्षण से ज्यादा अविलम्बनीय महत्व का होता है. इसलिए सबसे पहले उस पर चर्चा करायी जाए.

संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि आसंदी द्वारा पूर्व में ही इस पर व्यवस्था दी जा चुकी है उसी व्यवस्था के तहत सदन की कार्यवाही आगे चलाई जाए.

श्री महेश तिवारी, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 56 (1) में स्पष्ट लिखा है कि - "परन्तु जब अध्यक्ष ने नियम 53 के अधीन अपनी सम्मति देने से इन्कार कर दिया हो या उसकी राय हो कि चर्चा के लिए प्रस्तावित विषय नियमानुकूल नहीं है तो वह यदि आवश्यक समझें, उस प्रस्ताव की सूचना पढ़कर सुना सकेगा और सम्मति देने से इन्कार करना या प्रस्ताव को नियमानुकूल न ठहराने के कारण बता सकेगा." 56 (2) में दिया है "यदि अनुमति दी जाने पर आपत्ति की जाए तथा अध्यक्ष उन सदस्यों से जो अनुमति दिए जाने के पक्ष में हो अपने स्थानों पर खड़ा होने के लिए कहेगा." अध्यक्ष महोदय, उस दिन आपने स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और पढ़ने के लिए आसंदी पर खड़े भी हो गए थे तो उसको पढ़ने से रोका गया था, क्या उस स्थगन प्रस्ताव को बिना कारण बताए, बिना नियमों का हवाला दिए अमान्य किया जा सकता है ?

इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि आज सदन के सामने विचारणीय विषय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव द्वारा संशोधनों पर चर्चा की है इसके लिए इस संकल्प में इन नियमों के साथ-साथ अन्य सहपठित नियमों का अनुशीलन किया जाएगा और देखा जाएगा. इसमें नियम 16 को कई बार पढ़ा जा चुका है और यहां पर बार-बार पुनरावृत्ति हो रही है. स्थगन प्रस्ताव यदि ग्राह्य होता है तो उसको चर्चा के लिए 3 बजे का समय रखा जा सकता है लेकिन यहां तो स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य ही नहीं हुआ है और स्थगन प्रस्ताव आया भी नहीं है. एक स्थगन जो रखा जाने वाला है उसकी ग्राह्यता पर चर्चा कराने के लिए आप कह रहे हैं. कई माननीय सदस्यों ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बाल्को संबंधी मुद्दे पर भी बोला है स्थगन प्रस्ताव तो इसलिए आता है जब अन्य अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं. अभी मैं सारी कार्यवाही को रोककर राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा कराऊंगा.

5 अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई की कार्यसूची के पद 2 में दर्ज समस्त ध्यानाकर्षण सूचनाएँ उपस्थित सम्बन्धित माननीय सदस्यों पढ़ी हुई एवं उनके वक्तव्य सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा पढ़े हुए माने जाएंगे.

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी घोषणा की गई की निम्नलिखित माननीय सदस्यों की नियम 267- क के अधीन शून्यकाल की सूचना पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए सम्बन्धित विभागों को भेजा जाएगा :-

1. श्री चरण सिंह मांझी
2. श्री छतराम देवाँगन
3. श्री अजय चन्द्राकर
4. श्री लीला राम भोजवानी
5. श्री नारायण प्रसाद चंदेल

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में आकर नारे लगाए गए.)

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रामचन्द्र सिंह देव, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि विधेयक, 2001 सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

श्री रामचन्द्र सिंह देव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि विधेयक, 2001 पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड - 2 से 5 विधेयक का अंग बने.

खण्ड - 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रामचन्द्र सिंह देव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आकस्मिता निधि विधेयक, 2001 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(1.27 बजे से 2.30 बजे तक अन्तराल)

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

भोजनावकाश के पश्चात् जैसे ही सदन की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई तथा माननीय अध्यक्ष महोदय ने डॉ. शक्राजीत नायक सदस्य से राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना भाषण प्रारंभ करने के लिए कहा तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य खड़े होकर कोरबा स्थित बाल्को प्लाण्ट बंद होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करने लगे.

(व्यवधान के बीच भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भगृह में आ गए)

लगातार व्यवधान होने से माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही 20 मार्च, 2001 (फाल्गुन 29, 1922) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई

मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 2001

(फाल्गुन 29, 1922)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए]

प्रश्नकाल शुरू होते ही श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने प्रश्नकाल को स्थगित करके केन्द्र में तहलका प्रकरण पर हुये घटनाक्रम के संबंध में केन्द्र सरकार के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव लाने तथा उस पर चर्चा की अनुमति की मांग की.

व्यवधान के बीच श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति चाही.

माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रश्नकाल को स्थगित करने की अनुमति न देते हुए व्यवस्था दी कि प्रश्नकाल में औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जाता. प्रश्नकाल का समय एक घन्टा निश्चित रहता है और प्रश्नकाल नहीं लाना है या स्थगित करना है, ये अधिकार सदन को ही होता है. वे इस पक्ष में नहीं है कि प्रश्नकाल को स्थगित किया जाये. यदि प्रश्नकाल स्थगित होगा तभी औचित्य का या व्यवस्था का प्रश्न उठेगा, अन्यथा नहीं.

(व्यवधान के बीच भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

सदन की कार्यवाही 11.09 बजे से आधे घन्टे के लिये स्थगित की गई. 11.39 बजे सदन की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

[सभापति महोदय (श्री डोमेन्द्र भेंडिया) पीठासीन हुये.]

(सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्त के सदस्यों द्वारा लगातार एक दूसरे के विरुद्ध नारे लगाये गये)

व्यवधान के बीच माननीय सभापति महोदय ने सदन से अनुरोध किया कि प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद ध्यानाकर्षण, प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन एवं राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा होनी है इसलिये सदन की कार्यवाही चलने दी जाये. सभापति महोदय द्वारा प्रश्नोत्तर सूची के प्रश्न क्रमांक - 1 श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य का नाम पुकारा गया. श्री बृजमोहन अग्रवाल सदस्य ने श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री से पूरक प्रश्न पूछा. लेकिन व्यवधान के चलते उत्तर नहीं आ पाया.

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भगृह में आ गये तथा नारे लगाये गये)

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने गर्भगृह में प्रश्नोत्तर सूची को फाड़कर आसंदी की ओर फेंका)

अत्यधिक व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.48 बजे से आधे घंटे के लिये स्थगित की गई. 12.22 बजे सदन की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुये.]

सदन की कार्यवाही पुनः प्रारंभ होते ही श्री नंदकुमार पटेल, गृहमंत्री ने आसंदी से केन्द्र सरकार के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव रखने की अनुमति की मांग की.

श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस विषय पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है. प्रदेश का जो विषय है, उसी पर सदन में चर्चा होनी चाहिये.

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि विधान सभा का बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और देश के अन्तर्गत या छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत घटित घटनाओं को भी यथासमय, यथाप्रक्रिया उल्लेखित किया जाये तो उसमें कोई अनौचित्य नहीं है लेकिन कम से कम एक बात पर असहमति के बावजूद भी सहमति होनी चाहिए और वह यह कि विधान सभा की कार्यवाही चले और माननीय सदस्य अपनी बात कहें, लेकिन मेरी कठिनाई यह है कि जब माननीय सदस्य मेरी बात ही सुनना बन्द कर देंगे तो मैं क्या करूंगा ? कृपया शांतिपूर्वक सदन की कार्यवाही चलने दें.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि पिछले 10 दिनों से छत्तीसगढ़ के एक भी ज्वलंत मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हुई है.

अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में व्यवस्था दी कि -चर्चा होनी चाहिये लेकिन कभी प्रतिपक्ष चर्चा नहीं करता तो कभी सत्तापक्ष चर्चा नहीं करता. मैं क्या करूं ? मेरी मजबूरी है.

अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि कार्यसूची के पद क्रमांक - 2 में दर्ज समस्त ध्यानाकर्षण सूचनायें माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई एवं उनके वक्तव्य संबंधित मंत्रियों द्वारा पढ़े हुये माने जायेंगे.

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी घोषणा की गई कि निम्नलिखित माननीय सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचना पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जावेगा.

1. श्रीमती श्यामा ध्रुवा
2. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया
3. श्री छतराम देवांगन
4. श्री बृजमोहन अग्रवाल
5. प्रोफेसर गोपाल राम

वर्ष 2000-2001 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने वर्ष 2000-2001 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 21 मार्च, 2001 को सायं काल 4.00 बजे तक का समय निर्धारित किया.

(व्यवधान के चलते भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भगृह में आ गए)

लगातार व्यवधान होने से माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही 21 मार्च, 2001 (फाल्गुन 30, 1922) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

बुधवार, दिनांक 21 मार्च, 2001

(फाल्गुन 30, 1922)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए]

प्रश्नकाल शुरू होते ही श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने केन्द्र सरकार के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति की मांग करते हुए कहा कि उनका प्रस्ताव तीन दिन से विचाराधीन है.

श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए व्यवधान करके प्रश्नकाल को रोकना उचित नहीं है. जो बातें कहना हों, नियमों के तहत प्रश्नकाल के बाद कही जानी चाहिए और प्रश्नकाल विधिवत संचालित होना चाहिए.

कई माननीय सदस्यों द्वारा व्यवस्था के प्रश्न उठाने की अनुमति की मांग की जाने पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में व्यवस्था दी कि ''प्रश्नकाल को चलने दें. प्रश्नकाल के बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं उठता है लोक सभा अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल के कार्यकाल में राष्ट्रीय स्तर पर समस्त पार्टियों के नेताओं और मुख्य सचेतकों की बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था कि चाहे जैसी भी विषम से विषम परिस्थितियां उत्पन्न हों, प्रश्नकाल को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए. अगर माननीय सदस्य कोई बात कहना चाहते हैं, तो उनको रोक नहीं है, लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, जैसा कि गृहमंत्री जी द्वारा कहा गया कि तीन दिन से उनके द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा करने की मांग की जा रही है तो वे कौन-से प्रस्ताव पर, किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं ? उनके द्वारा अभी तक लिखकर नहीं दिया गया है.''

सदन की ''प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम'' की जो मान्यता प्राप्त पुस्तक है, उसमें हर बात के लिए प्रावधान है. अगर आप किसी मुद्दे को सदन में लाना चाहते हैं, तो उसको आप लिखकर दे सकते हैं, उस पर समय निर्धारण के बाद जितनी चर्चा करनी हो, उतनी चर्चा की जाए, लेकिन अभी तक किसी भी माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात नहीं आई कि लिखकर दे दें कि वे किस विषय पर चिंता व्यक्त करना चाहते हैं ?

व्यवधान के बीच माननीय अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित प्रश्नकर्ता सदस्यों के नाम पुकारे, किन्तु व्यवधान के चलते माननीय सदस्य प्रश्न नहीं कर पाए.

व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 11.13 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई. 12.00 बजे सदन की कार्यवाही पुनः आरंभ हुई.

[सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए.]

ध्यानाकर्षण

व्यवधान के बीच श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने राजनांदगांव जिले की सूची कपड़ा मिल के बिजली के अभाव में बंद होने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री विधान मिश्रा, राज्यमंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग ने इस पर वक्तव्य दिया.

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भ-गृह में आकर धरने पर बैठ गए)

(सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार एक-दूसरे के विरुद्ध नारे लगाये गए)

व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.05 बजे से 12.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई. 12.30 बजे सदन की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

[सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए.]

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए)

लगातार व्यवधान होने से सभापति महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही 22 मार्च 2001 (चैत्र 1, 1923) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

गुरूवार, दिनांक 22 मार्च, 2001

(चैत्र 1, 1923)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्रमांक 1271) एवं तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्रमांक - 642) को माननीय अध्यक्ष महोदय ने आगामी तिथि के लिये रखने की घोषणा की गई.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 31 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 60 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

(भारतीय जनता पार्टी सदस्यों द्वारा विभिन्न नारे लिखे हुए बैनर एवं पोस्टर हाथ में लेकर लहराये गये, सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों ने भी पोस्टर लहराये)

2. औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था.

प्रश्नकाल समाप्त होते ही नेता प्रतिपक्ष श्री नन्दकुमार साय तथा भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा भूख से हुई मौत तथा सूखे के संबंध में दिये गये स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा की मांग की गई.

श्री दाऊराम रत्नाकर, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि विधानसभा में कई सदस्य माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा नहीं कर पाये हैं और इसके लिये भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस पक्ष के सदस्य जिम्मेदार हैं इसलिये राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर आज चर्चा कराई जाए.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी ने कहा कि हर ऐसा मुद्दा जो लोक महत्व, सार्वजनिक महत्व का है उस पर खुली और विस्तृत बहस होनी चाहिये. अध्यक्ष महोदय जब भी ऐसे विषयों पर नियमानुसार समय निश्चित करेंगे, शासन चर्चा करने के लिये तैयार है.

अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में व्यवस्था दी कि सदन की कार्यवाही में जो भी मुद्दे उठे हैं उस पर कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में विचार करके समय और तारीख निश्चित कर लेंगे.

सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव तथा अन्य मुद्दो पर भी पूरी चर्चा होगी.

उन्होंने सदन से आग्रह किया कि लोक हित और प्रजातंत्र हित में कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में मदद करें.

3. ध्यानाकर्षण

1. श्री मेघाराम साहू, सदस्य ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में हुए घोटाले के संबंध में सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री विधान मिश्रा, राज्यमंत्री उद्योग ने इस पर वक्तव्य दिया.

[सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए.]

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने प्रदेश में आर्सेनिक जहर फैलने से सैकड़ों नागरिकों के प्रभावित होने के संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, मंत्री, स्वास्थ्य ने इस पर वक्तव्य दिया.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

4. नियम 267 - क के अधीन विषय

1. श्री गंगूराम बघेल, सदस्य ने रायपुर दुग्ध संघ द्वारा संचालित दुग्ध सहकारी समितियों में किसानों का दूध न खरीदे जाने,

2. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य ने राजनांदगांव जिले के चौकी विकासखण्ड के ग्राम माझा टोला के कृषक की जली हुई फसल का भुगतान न किये जाने,

3. श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा के अकलतरा में स्थित श्री राजेन्द्र कुमार सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का अनुदान बंद होने,

4. श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा की सड़को का रख रखाव किये जाने,

5. श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विकासखण्ड के किसानों को खाद-बीज न दिये जाने-

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी गई.

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि शून्यकाल की सूचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं. 1985 में उनके कार्यकाल में शून्यकाल की सूचनाएं लिखित में पढ़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी. माननीय मंत्रीगण सदन में प्रस्तुत शून्यकाल की सूचनाओं को ध्यान से सुनें तथा प्रक्रियानुसार एक महीने के भीतर उसका उत्तर संबधित माननीय सदस्य को तथा सचिवालय को भी दें.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य ने धमतरी जिले के-

1. कुरूद विधान सभा क्षेत्र के डांडेसरा एवं कोड़ेबोड़ लंबित उद्वहन सिंचाई योजना हेतु बजट प्रावधान कर शीघ्र कार्य शुरू कराये जाने,
2. शासकीय महाविद्यालय, कुरूद में भूगोल एवं इतिहास की स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारंभ करने, कन्या छात्रावास एवं प्राचार्य हेतु आवासीय परिसर बनाये जाने,
3. मारागांव व मोहेरा मगरलोड विकासखण्ड आदिवासी बाहुल्य वन क्षेत्र में सूखा नदी पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने,
4. कुरूद नगर की अधूरी जल आवर्धन योजना को शीघ्र पूर्ण कर नगर पंचायत कुरूद को हस्तांतरित कराये जाने,
5. पनवई बांध के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा किये जाने,
6. विकासखंड मगरलोड में 30 बिस्तरों वाले अस्पनाल का निर्माण,
7. कुरूद एवं मगरलोड विकासखंडों में आदिवासी छात्रावास का भवन स्वीकृत कर निर्माण कराये जाने,
8. ग्राम बोरसी के उच्चतर माध्यमिक शाला में परीक्षा केन्द्र स्वीकृत किये जाने,
9. ग्राम सिरी से खर्रा-दर्रा पटेवा मार्ग को प्रथम श्रेणी मार्ग बनाये जाने,
10. छोटे करेली हाईस्कूल को 10+2 में परिवर्तित कराये जाने, तथा
11. विकासखंड मगरलोड में महाविद्यालय की स्थापना किये जाने

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत कीं.

7. अशासकीय संकल्पों के समय निर्धारण की घोषणा.

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की आगामी शुक्रवार के अशासकीय दिवस हेतु निर्धारित चार अशासकीय संकल्पों की ग्राह्यता की सूचना पत्रक भाग - 2 द्वारा जारी की जा चुकी है. ग्राह्य अशासकीय संकल्पों पर चर्चा हेतु निम्नानुसार समय निर्धारित किया जाता है :-

1.	अशासकीय संकल्प क्र. - 1	श्री रामविचार नेताम, सदस्य	45 मिनट
2.	अशासकीय संकल्प क्र. - 5	श्री महेश तिवारी, सदस्य	45 मिनट
3.	अशासकीय संकल्प क्र. - 8	श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य	30 मिनट
4.	अशासकीय संकल्प क्र. - 18	डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य	30 मिनट

8. औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने औचित्य का प्रश्न उठाया कि अनुपूरक मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयक तथा आय-व्ययक 2001-2002 का उपस्थापन यह तीनों कार्य आज की कार्यसूची में रखे गये हैं, जो उचित नहीं है क्योंकि जब तक अनुपूरक अनुमान और विनियोग विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल महोदय से अनुमोदित नहीं हो जाते हैं तब तक सदन में आय-व्ययक प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये. यदि राज्यपाल महोदय ने उसके खर्च की अनुमति नहीं दी और उसका उल्लेख आय-व्ययक में होगा तो आगे जाकर पूरी वैधानिकता को चैलेंज किया जा सकता है.

संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि मध्यप्रदेश विधान सभा में भी कई ऐसे अवसर आये थे जब एक ही दिन इस प्रकार से वित्तीय कार्य निपटाये गये थे.

माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में व्यवस्था दी कि सदन के सामने जो अभी विषय है वह सर्वथा नियमान्तर्गत, नियमानुकूल है. अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया जा चुका है उस पर चर्चा होगी. विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही अगले वर्ष का आय-व्ययक आयेगा. आय-व्ययक के बारे में काल्पनिक शंकायें की गई हैं. सदन सर्वोपरि है और सदन कार्य नियमों को भी निर्धारित करता है और शिथिल भी कर सकता है. अध्यक्ष सदन की ओर से भी सारी कार्यवाहियां कर सकता है और कोई ऐसी बात नहीं है कि उसी दिन बजट पर राज्यपाल महोदय के दस्तखत होते हैं. वह सारी कार्यवाही बाद में होती रहती है.

9. वर्ष 2000-2001 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री रामचंद्र सिंहदेव, वित्त-मंत्री ने प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 64, 80 एवं 81 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तीन सौ सड़सठ करोड़, इकीस लाख, बाईस हजार, एक सौ छासठ रुपए की अनुपूरक राशि दी जाये.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री गंगूराम बघेल
2. श्री धर्मजीत सिंह
3. श्री नारायण प्रसाद चंदेल
4. श्री डोमेंद्र भेंडिया
5. डॉ. शक्राजीत नायक
6. श्री दाऊराम रत्नाकर

श्री रामचंद्र सिंह देव, वित्त-मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रामचंद्र सिंहदेव, वित्तमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2001 (क्रमांक 3 सन् 2001) पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ

खंड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने

खण्ड 1 विधेयक का अंग बने

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्तमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2001 (क्रमांक 3 सन् 2001) पारित किया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधेयक पारित हुआ

(1.29 बजे से 3.02 बजे तक अंतराल)

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

11. वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक का उपस्थापन

श्री रामचंद्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 28, 29 एवं 30 मार्च, 2001 तक का समय आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिये नियत किया गया. घोषणा की गई कि- आय-व्ययक में सम्मिलित मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूची दिनांक 23 मार्च, 2001 को अपराह्न 4.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है.

अपराह्न 4.03 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 23 मार्च, 2001 (चैत्र -2, 1923) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

गुरूवार, दिनांक 23 मार्च, 2001

(चैत्र - 2, 1923)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रथम चक्र में 9 प्रश्नों पर तथा द्वितीय चक्र में 2 प्रश्नों पर अनूपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 28 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 30 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यानाकर्षण

1. श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य ने जिला बिलासपुर के तखतपुर थानान्तर्गत श्री पुनऊराम सतनामी की वन कर्मियों द्वारा की गई पिटाई से हुई मौत के संबंध में वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने बिलासपुर जिले की अरपा नदी पर बनने वाली खोगसरा डायवर्सन मध्यम सिंचाई योजना का कार्य पूर्ण न कराए जाने के संबंध में जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री धनेश पाटिला, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. नियम 267 - क के अधीन विषय

1. श्री मेघाराम साहू, सदस्य ने सक्ती विधान सभा क्षेत्र की आदिवासी अंचल की जर्जर सड़कों का निर्माण कराये जाने,
2. श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले की जर्जर सड़कों का निर्माण कराए जाने,
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने नयापारा राजिम स्थित सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय के छात्र का अपहरण किए जाने,
4. श्री अमर अग्रवाल, सदस्य ने बिलासपुर शहर में अव्यवस्थित यातायात से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होने,
5. श्री बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य ने रायपुर मेडीकल कालेज के स्नाकोत्तर कक्षाएं बंद होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

4. वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन

श्री रामचंद्र सिंहदेव, वित्ती-मंत्री ने वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन किया.

[सभापति महोदय (श्री महेश तिवारी) पीठासीन हुए.]

5. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव तथा संशोधन पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. डॉ. शक्राजीत नायक
2. डॉ. छबिलाल रात्रे
3. श्री गंगूराम बघेल
4. श्री दाऊराम रत्नाकर
5. श्री हीरासिंह मरकाम
6. श्री लखमा (भाषण अपूर्ण)

(अपराह्न 1.30 बजे से 2.30 बजे तक अंतराल)

[सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए.]

6. अशासकीय संकल्प

1. श्री महेश तिवारी, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि - "सदन का यह मत है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि पशुधन एवं चारागाह वनों के विकास हेतु खुले मवेशी, पशुओं को चराने हेतु बरदी प्रथा एवं कुल्हाड़ी (टंगिया) लेकर खुले आवागमन को प्रतिबंधित किया जाए," तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सदस्य सर्वश्री डॉ. रामलाल भारद्वाज, बनवारीलाल अग्रवाल, दाऊराम रत्नाकर ने चर्चा में भाग लिया.

श्री डेरहूप्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(विचारोपरान्त संकल्प वापस हुआ)

2. श्री रामविचार नेताम, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि - "यह सदन केंद्रीय रेलवे मंत्रालय से अनुरोध करता है कि अम्बिकापुर विश्रामपुर रेलवे लाइन में चलने वाली यात्री गाड़ी बिलासपुर से बढ़ाकर दुर्ग तक फास्ट ट्रेन के रूप में चलाई जाए," तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सदस्य सर्वश्री बनवारीलाल अग्रवाल, दाऊराम रत्नाकर, लखमा, डोमेंद्र भेड़िया ने चर्चा में भाग लिया.

श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य ने संकल्प में संशोधन कर उसमें शब्द "बिलासपुर से बढ़ाकर दुर्ग" के स्थान पर शब्द "बिलासपुर से बढ़ाकर डोंगरगढ़" करने का अनुरोध किया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा श्री बनवारी लाल अग्रवाल सदस्य के सुझाव से सहमति व्यक्त की.

(यथासंशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

3. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि - "सदन का यह मत है कि राहत मत के अंतर्गत करवाये जाने वाले कार्य छत्तीसगढ़ के नगर पंचायत क्षेत्रों में भी स्वीकृत किए जाएं," तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सदस्य सर्वश्री शिवरतन शर्मा, हरषद मेहता, धरम कौशिक, अग्नि चंद्राकर, गंगूराम बघेल, देवव्रत सिंह, डॉ. हरिदास भारद्वाज, रजिन्दरपाल सिंह भाटिया ने चर्चा में भाग लिया.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(विचारोपरान्त संकल्प वापस हुआ)

4. डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि - "सदन का यह मत है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की नल-जल योजनाओं का संचालन व संधारण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाये," तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

5. वर्ष 2001-2002 के लेखानुदान की मांगों पर मतदान

श्री रामचन्द्र सिंह देव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - ''दिनांक 01 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष 2001-2002 के एक भाग अर्थात् 01 अप्रैल, 2001 से 31 मई, 2001 तक की अवधि के प्राक्कलित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को राज्य की संचित निधि में से कुल एक हजार दो सौ पन्द्रह करोड़, इक्यासी लाख, चौंसठ हजार रुपये की धन राशि जो पृथकतः वितरित लेखानुदानों की मांगों तथा विनियोग की अनुसूची के स्तंभ-3 में दी गई राशियाँ स्तम्भ-2 में निर्दिष्ट सेवाओं से संबंधित मांगों के लिए सम्मिलित है, लेखानुदान के रूप में दी जावे.''

लेखानुदान की मांगें स्वीकृत हुई.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रामचन्द्र सिंह देव, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 (क्रमांक 6 सन् 2001) पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2, 3 व अनुसूची विधेयक के अंग बने

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने

श्री रामचन्द्र सिंह देव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
विधेयक पारित हुआ

7. लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए 9-9 सदस्यों का निर्वाचन

श्री रामचन्द्र सिंह देव वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''सभा के सदस्यगण, विधान सभा नियमावली के नियम 221 के उप-नियम (3), 223 के उप-नियम (2) तथा 223-ख के उप-नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए क्रमशः लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 9-9 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 9 सदस्यों का निर्वाचन

श्री माधवसिंह ध्रुव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - ''सभा के सदस्यगण विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 234-ख के उप-नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2001-2002 की अवधि के लिए अपने में से 9 सदस्य जिनमें से क्रमशः तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़ा वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

9. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि -"लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

(1) नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में दिनांक 29 मार्च, 2001 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिए जा सकते है.

(2) नाम निर्देशन प्रपत्रों की जांच दिनांक 30 मार्च, 2001 को अपराह्न 5.00 बजे होगी.

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना दिनांक 4 अप्रैल, 2001 को अपराह्न 4.00 बजे तक सचिवालय में दी जा सकती है.

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान दिनांक 9 अप्रैल, 2001 को प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक होगा.

(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा.

उपर्युक्त निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं."

10. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव तथा संशोधनों पर चर्चा का पुनर्ग्रहण.

चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री लखमा
2. श्री शिवरतन शर्मा

(1.30 बजे से 2.30 बजे तक अंतराल)

[सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए.]

3. श्री डोमेंद्र भेंडिया
4. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया
5. डॉ. रामलाल भारद्वाज
6. श्री महेश तिवारी

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुये.]

श्री अजीत जोगी, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए.
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

11. संकल्प

श्री रामचन्द्र सिंह देव, वित्त मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि- "जबकि छत्तीसगढ़ विधान सभा यह मानती है कि सम्पूर्ण भारत में राज्यों के लोक ऋण और उससे संबद्ध या उससे आनुषंगिक तथा प्रासंगिक विषयों के विनियमन के लिए एक समान विधि वांछनीय है,

तथा जबकि, ऐसी विधि की विषय-वस्तु मुख्यतः भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टि 43 में प्रगणित विषय से संबंधित है,

तथा जबकि, उपरोक्त सूची-2 की प्रविष्टि 43 में प्रगणित विषय के संबंध में संसद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 तथा 250 में यथा उपबन्धित के सिवाय राज्यों के लिए ऐसी विधि निर्मित करने का कोई अधिकार नहीं है,

तथा जबकि, लोक ऋण अधिनियम, 1944 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकारों की ओर से एकत्रित बाजार ऋणों पर लागू होता है,

तथा जबकि, लोक ऋण अधिनियम, 1944 को निरसित कर उसे एक नए विधान सभा यथा ''सरकारी प्रतिभूति अधिनियम'' से प्रतिस्थापित करना वांछनीय है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के धारकों को दक्ष तथा सुधरी हुई व्यवस्था देने में समर्थ हो,

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह विधान सभा एतद्द्वारा संकल्प करती है कि सरकारी प्रतिभूतियों तथा उससे संबद्ध या उससे आनुषंगिक तथा प्रासंगिक समस्त विषयों का विनियमन संसद द्वारा विधि द्वारा किया जाए.''

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

4.50 बजे विधान सभा मंगलवार 27 मार्च, 2001 (चैत्र 6, 1923) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

सोमवार, दिनांक 26 मार्च, 2001

(चैत्र 5, 1923)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 23 तारांकित प्रश्नों में से 8 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

विभागीय अधिकारियों द्वारा फर्नीचर क्रय में अनियमितता संबंधी प्रश्न संख्या - 3 (क्रमांक 1021) पर हुई चर्चा में माननीय सदस्यों की मांग पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय मंत्री जी द्वारा स्वीकृति दिए जाने पर सदन की अनुमति से मामले की जांच हेतु सदन की समिति बनाने पर विचार करने की घोषणा की.

प्रश्नोत्तर सूची में 19 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने रायपुर जिले की देवभोग हीरा खदानों से हीरा पत्थरों की हो रही चोरी के संबंध में खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामपुकार सिंह, खनिज साधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री डॉ. हरिदास भारद्वाज, नारायण प्रसाद चंदेल, डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने प्रदेश के अनेक भागों में लो-वोल्टेज एवं विद्युत कटौती की वजह से फसलों की क्षति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री ताम्रध्वज साहू, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने इस पर वक्तव्य दिया.

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर नारे लगाते हुये सदन से बहिर्गमन किया.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

3. नियम- 267 क के अधीन-विषय

1- श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले में विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किए जाने,

2- श्री चरण सिंह मांझी, सदस्य ने रायपुर जिला अंतर्गत देवभोग विकासखंड में कॉलेज की स्थापना किए जाने,

3- श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य ने राजनांदगांव जिले के विकासखंड छुरिया ग्राम आटरा में तेंदूपत्ता संग्राहकों का भुगतान न किए जाने,

4- श्री लोकेन्द्र यादव, सदस्य ने प्रदेश में राहत कार्य अनवरत चालू रहने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

1- श्री रामचन्द्र सिंह देव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (विशेष उपबंध) विधेयक, 2001 (क्रमांक 4 सन 2001) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

2- श्री रामचन्द्र सिंह देव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक-5 सन 2001) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

5. वर्ष 2001-2002 के लेखानुदान की मांगों पर मतदान

श्री रामचन्द्र सिंह देव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - ''दिनांक 01 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष 2001-2002 के एक भाग अर्थात् 01 अप्रैल, 2001 से 31 मई, 2001 तक की अवधि के प्राक्कलित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को राज्य की संचित निधि में से कुल एक हजार दो सौ पन्द्रह करोड़, इक्यासी लाख, चौंसठ हजार रुपये की धन राशि जो पृथकतः वितरित लेखानुदानों की मांगों तथा विनियोग की अनुसूची के स्तंभ-3 में दी गई राशियाँ स्तम्भ-2 में निर्दिष्ट सेवाओं से संबंधित मांगों के लिए सम्मिलित है, लेखानुदान के रूप में दी जावे.''

लेखानुदान की मांगें स्वीकृत हुई.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रामचन्द्र सिंह देव, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 (क्रमांक 6 सन् 2001) पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2, 3 व अनुसूची विधेयक के अंग बने

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने

श्री रामचन्द्र सिंह देव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
विधेयक पारित हुआ

7. लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए 9-9 सदस्यों का निर्वाचन

श्री रामचन्द्र सिंह देव वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''सभा के सदस्यगण, विधान सभा नियमावली के नियम 221 के उप-नियम (3), 223 के उप-नियम (2) तथा 223-ख के उप-नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए क्रमशः लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 9-9 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 9 सदस्यों का निर्वाचन

श्री माधवसिंह ध्रुव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - ''सभा के सदस्यगण विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 234-ख के उप-नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2001-2002 की अवधि के लिए अपने में से 9 सदस्य जिनमें से क्रमशः तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़ा वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

9. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि -''लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

(1) नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में दिनांक 29 मार्च, 2001 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिए जा सकते है.

(2) नाम निर्देशन प्रपत्रों की जांच दिनांक 30 मार्च, 2001 को अपराह्न 5.00 बजे होगी.

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना दिनांक 4 अप्रैल, 2001 को अपराह्न 4.00 बजे तक सचिवालय में दी जा सकती है.

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान दिनांक 9 अप्रैल, 2001 को प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक होगा.

(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा.

उपर्युक्त निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं.''

10. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव तथा संशोधनों पर चर्चा का पुनर्ग्रहण.

चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री लखमा
2. श्री शिवरतन शर्मा

(1.30 बजे से 2.30 बजे तक अंतराल)

[सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए.]

3. श्री डोमेंद्र भेडिया
4. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया
5. डॉ. रामलाल भारद्वाज
6. श्री महेश तिवारी

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुये.]

श्री अजीत जोगी, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए.
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

11. संकल्प

श्री रामचन्द्र सिंह देव, वित्त मंत्री नें संकल्प प्रस्तुत किया कि- ''जबकि छत्तीसगढ़ विधान सभा यह मानती है कि सम्पूर्ण भारत में राज्यों के लोक ऋण और उससे संबद्ध या उससे आनुषंगिक तथा प्रासंगिक विषयों के विनियमन के लिए एक समान विधि वांछनीय है,

तथा जबकि, ऐसी विधि की विषय-वस्तु मुख्यतः भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टि 43 में प्रगणित विषय से संबंधित है,

तथा जबकि, उपरोक्त सूची-2 की प्रविष्टि 43 में प्रगणित विषय के संबंध में संसद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 तथा 250 में यथा उपबन्धित के सिवाय राज्यों के लिए ऐसी विधि निर्मित करने का कोई अधिकार नहीं है,

तथा जबकि, लोक ऋण अधिनियम, 1944 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकारों की ओर से एकत्रित बाजार ऋणों पर लागू होता है,

तथा जबकि, लोक ऋण अधिनियम, 1944 को निरसित कर उसे एक नए विधान सभा यथा ''सरकारी प्रतिभूति अधिनियम'' से प्रतिस्थापित करना वांछनीय है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के धारकों को दक्ष तथा सुधरी हुई व्यवस्था देने में समर्थ हो,

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह विधान सभा एतद्द्वारा संकल्प करती है कि सरकारी प्रतिभूतियों तथा उससे संबद्ध या उससे आनुषंगिक तथा प्रासंगिक समस्त विषयों का विनियमन संसद द्वारा विधि द्वारा किया जाए.''

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

4.50 बजे विधान सभा मंगलवार 27 मार्च, 2001 (चैत्र 6, 1923) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

मंगलवार, दिनांक 27 मार्च, 2001

(चैत्र 6, 1923)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

निराश्रितों को मुफ्त चांवल के वितरण की व्यवस्था संबंधी प्रश्न संख्या - 3 (क्रमांक -939) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवार्तित 10 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 21 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि "कार्यमंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 26 मार्च, 2001 को संपन्न हुई जिसमें निम्नलिखित कार्यों के लिए उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई :-

(1)	छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (विशेष उपबंध) विधेयक, 2001 (क्रमांक 4 सन् 2001)	30 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 5 सन् 2001)	1 घंटा
(3)	लोक ऋण अधिनियम 1944 को सरकारी प्रतिभूति अधिनियम से प्रतिस्थापित करने संबंधी संकल्प	30 मिनट

समिति ने वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक संबंधी संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान की मांगों पर चर्चा हेतु निम्नानुसार समय निर्धारित करने की भी सिफारिश की है :-

क्रमांक	मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	प्रस्तावित समय
1.	श्री रविन्द्र चौबे	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगरीय निकाय	2 घंटे
		24	लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल	
		28	राज्य विधान मण्डल	
		29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	
		67	लोक निर्माण कार्य - भवन	
		69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगरीय कल्याण	
		76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
2.	श्री डेरहू प्रसाद घृतलहरे	10	वन	1 घंटा 30 मिनिट
		21	आवास एवं पर्यावरण से संबंधित व्यय	
		73	आवास एवं पर्यावरण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	

3.	श्री माधव सिंह ध्रुव	15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2 घंटे
		33	आदिमजाति कल्याण	
		41	आदिवासी क्षेत्र परियोजना	
		42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़के और पुल	
		49	अनुसूचित जाति कल्याण	
		53	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
		64	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	
		66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	
		68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	
		77	बिलासपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों का विकास संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		82	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	
		83	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	
4.	श्री कृष्ण कुमार गुप्ता	1	सामान्य प्रशासन	
		2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2 घंटे
		19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
		61	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	
5.	श्री महेन्द्र कर्मा	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	2 घंटे
		56	ग्रामोद्योग	
		78	ग्रामोद्योग से संबंधित विदेशों सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
6.	श्री नंदकुमार पटेल	3	पुलिस	2 घंटे
		4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	
		5	जेल	
		36	परिवहन	
		65	विमानन विभाग	
7.	श्री धनेश पाटिला	12	उर्जा विभाग से संबंधित व्यय	2 घंटे
		23	जल संसाधन विभाग	
		40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	
		45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	
		57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	

क्रमांक	मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	प्रस्तावित समय
8.	श्री चनेश राम राठिया	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	1 घंटा
9.	श्री सत्यनारायण शर्मा	27	स्कूल शिक्षा	2 घंटे
		44	उच्च शिक्षा	
		46	विज्ञान एवं टेक्नालॉजी	
		47	तकनीकी शिक्षा तथा जनशक्ति नियोजन विभाग	
10.	श्री अमितेष शुक्ल	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	1 घंटा 30 मिनिट
		80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	
11.	श्रीमती गीता देवी सिंह	34	समाज कल्याण	1 घंटा 30 मिनिट
		55	महिला एवं बाल विकास	
12.	डॉ. प्रेमसाय सिंह	13	कृषि	1 घंटा 30 मिनिट
		14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	
		16	मछलीपालन	
		17	सहकारिता	
		52	कृषि विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	
		71	पशुपालन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
13.	श्री रामपुकार सिंह	25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	1 घंटा
		32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	
14.	डॉ. रामचंद्र सिंहदेव	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	1 घंटा
		7	वाणिज्य कर विभाग से संबंधित व्यय	
		31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	
		48	ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	
		50	20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय.	
		60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	
15.	श्री भूपेश बघेल	8	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	1 घंटा
		9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	
		20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	
		35	पुनर्वास	
		58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	

क्रमांक	मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	प्रस्तावित समय
16.	श्री शंकर सोढ़ी	18	श्रम	1 घंटा
		43	खेल और युवक कल्याण	
17.	श्री धनेन्द्र साहू	26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	1 घंटा
		37	पर्यटन	
		51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 3 अप्रैल, से दिनांक 18 अप्रैल, 2001 तक भोजन अवकाश नहीं होगा.

संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने प्रस्ताव किया कि ''सदन कार्य मंत्रणा के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की स्वीकृति देता है''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(श्री परेश बागबाहरा, सदस्य बागबाहरा में बिजली कटौती संबंधी नारे लिखा हुआ बैनर हाथ में लेकर गर्भगृह में बैठ गए तथा अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर वापस अपने आसन पर गए.)

3. औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था

श्री बृजमोहन अग्रवाल तथा कई भाजपा सदस्यों द्वारा भूख से हुई मौत तथा इमली खरीदी संबंधी मामले में एस. डी. एम. को निर्वस्त्र कर घुमाने संबंधी स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा की मांग की गई.

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था देते हुए कहा कि उनके द्वारा यह कहा गया है कि किसी-न-किसी माध्यम से वे सदन में माननीय सदस्यों को चर्चा का अवसर देंगे और बजट सत्र में अनेक ऐसे मौके आते हैं जिस समय सदस्य अपनी बात कह सकते हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं. अभी बजट पर सामान्य चर्चा उसके बाद विभागवार चर्चा होगी और जैसा माननीय सदस्यों ने मांग की है तो अगर भूख से मौत वाली बात है तो वे इसको किसी-न-किसी रूप में लेंगे.

4. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में जबलपुर की सांसद श्रीमती जयश्री बनर्जी विराजमान हैं और सदन उनका स्वागत करता है.

5. ध्यानाकर्षण

1. डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने हसदेव बांगो परियोजना, बिलासपुर में ठेकेदार को नियम विरुद्ध लाभ पहुँचाने के संबंध में जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री धनेश पाटिला, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

श्री बृजमोहन अग्रवाल तथा कई भाजपा सदस्यों ने सूचना दी कि विधान सभा के मुख्य द्वार पर आंदोलन कर रहे व्यापारियों के ऊपर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया है.

माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री को निर्देशित किया कि वे इस घटना को दिखवा लें वे जानकारी लेकर सदन को सूचित करें.

(व्यवधान के बीच भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भगृह में आए तथा नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया)

2. श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने दंतेवाड़ा जिले के वन मण्डलों में तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य ठेकेदारों को देने से मजदूरों तथा शासन का नुकसान होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

[सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए.]

श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लाठी चार्ज संबंधी मामले पर सदन की कार्यवाही रोकने की मांग करते हुए गर्भगृह में आए तथा नारे लगाने लगे)

अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद) पीठासीन हुए.

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि गृहमंत्री इस घटना के संबंध में अपराह्न 2.30 बजे वक्तव्य देंगे.

व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हो गई. 2.30 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

पूर्वाह्न में आसंदी की व्यवस्था के संदर्भ में गृहमंत्री ने व्यवसायियों पर लाठी चार्ज की घटना पर वक्तव्य देना चाहा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष श्री नंद कुमार साय ने मांग की कि गृह मंत्री के वक्तव्य के पहले उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए.

अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में व्यवस्था दी कि माननीय सदस्यों की मांग पर उन्होंने गृह मंत्री को अपराह्न 2.30 बजे इस मुद्दे पर वक्तव्य देने की अनुमति प्रदान की है. अतः पहले गृह मंत्री जी वक्तव्य देंगे.

6. वक्तव्य

श्री नंद कुमार पटेल, गृहमंत्री ने अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार विधान सभा के बाहर व्यापारियों एवं पुलिस के मध्य हुए विवाद के संबंध में वक्तव्य दिया.

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में आकर नारे लगाए गए तथा कुछ समय पश्चात् अपने आसन पर वापस चले गए)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने अध्यक्ष के स्थायी आदेश के अध्याय-9 की धारा 93 और 94 का उल्लेख करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि विधान सभा परिसर के अंदर जो गिरफ्तारी और लाठी चार्ज की घटना हुई है उस संबंध में क्या माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति ली गई है, और अगर माननीय अध्यक्ष के आदेश से गिरफ्तारी और लाठी चार्ज नहीं हुआ है तो क्या विधान सभा परिसर के अंदर पुलिस इस तरह की कार्यवाही कर सकती है. उन्होंने कहा कि विधान सभा की कार्यवाही बाधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को सदन में माफी मांगनी चाहिए.

उपरोक्त प्रश्न पर श्री नंद कुमार पटेल, गृह-मंत्री ने कहा कि विपक्ष हमेशा अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना करता है. विधान सभा के परिसर में जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उनको विपक्ष के माननीय सदस्य छुड़ाकर के माननीय अध्यक्ष के कक्ष तक ले आए.

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी अपराधी को पुलिस से छुड़ाकर विधान सभा परिसर में अध्यक्ष कक्ष तक लाना ये सदन की गरिमा के प्रतिकूल है.

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि आसंदी की व्यवस्था के बाद सदन की गरिमा बनाए रखना सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों की परंपरा है. आज की कार्यवाही में जो बाधा उत्पन्न हुई है उसके लिए विपक्ष के माननीय सदस्य जिम्मेदार हैं.

श्री नंद कुमार साय, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चौपट हो चुकी है. जब पहले से यह सूचना थी कि इस तारीख को ये लोग विधान सभा के सामने प्रदर्शन और घेराव करेंगे, तब जहां से धारा 144 लगी है वहीं पर सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोककर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? सरकार द्वारा विधान सभा परिसर में इन स्थितियों से बचने के लिए कोई सुनिश्चित प्रबंध नहीं किया गया है.

पुनः व्यवधान होने से 3.23 बजे से सदन की कार्यवाही शाम 4.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई. 4.00 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

[सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए.]

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि सदन में विपक्षी सदस्यों द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने की जो बेबुनियाद बात कि एक सिख युवक की पगड़ी उछालने का प्रयास किया गया, निंदनीय है. इस संबंध में उन्हें माफी मांगनी चाहिए.

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने कहा कि विधायक श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा आंदोलनकारियों को पुलिस की हिरासत से छुड़ाकर

अध्यक्ष महोदय के कक्ष तक लाया गया. इस संबंध में उनके द्वारा माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई है.

श्री दाऊराम रत्नाकर, सदस्य ने कहा कि माननीय सदस्य किस विषय पर सदन में चर्चा कर रहे हैं यह समझ से बाहर है. उन्होंने कहा कि आज जो घटना घटी उस पर चर्चा का प्रावधान रखा जाना चाहिये.

व्यवधान होने से 4.07 बजे सदन की कार्यवाही 4.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई. 4.29 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

[सभापति महोदय (श्री गणेशशंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए.]

लगातार व्यवधान जारी रहने से सभापति महोदय द्वारा विधान सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 28 मार्च, 2001/(चैत्र 7, 1923)के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2001

(चैत्र 7, 1923)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए]

1.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 11 तारांकित प्रश्नों में से प्रथम चक्र में 7 प्रश्नों पर तथा द्वितीय चक्र में 01 प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में 13 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, डॉ. हरिदास भारद्वाज, परेश बागबाहरा, अजय चन्द्राकर, हेमचंद यादव, गंगूराम बघेल, राजिन्दर पाल सिंह भाटिया, नारायण प्रसाद चंदेल, डॉ. शक्रजीत नायक, लीलाराम भोजवानी, सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय अध्यक्ष महोदय ने पढ़ी. माननीय मुख्यमंत्री ने विषय की गंभीरता दर्शाते हुए उसे चर्चा के लिए ग्राह्य करने का अनुरोध किया. अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर 3.30 बजे से चर्चा की अनुमति प्रदान की गई.

श्री बृजमोहन अग्रवाल सदस्य द्वारा ग्राह्य स्थगन प्रस्ताव पर त्वरित चर्चा कराने की मांग करने पर श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने अध्यक्ष महोदय से कहा कि पुलिस कस्टडी से छुड़ाकर विधान सभा में अध्यक्ष के कक्ष तक लोगों को लाने के लिए विपक्ष के सदस्यों को माफी मांगनी चाहिए.

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य गर्भगृह में आए तथा वापस आसन पर चले गए)

व्यवधान होने से 12.07 बजे सदन की कार्यवाही 12.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

सभा की कार्यवाही 12.30 बजे पुनः प्रारंभ हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव को अध्यक्ष महोदय द्वारा ग्राह्य किया जाकर उस पर चर्चा के लिए समय भी निर्धारित कर दिया गया है इसलिये अब इस विषय पर किसी माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि वे अनुमति नहीं दे रहे हैं. माननीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि एक साथ यदि माननीय सदस्य खड़े होकर एक स्वर में बोलेंगे तो सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकती है.

ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, बनवारी लाल अग्रवाल, महेश तिवारी, सदस्य ने प्रदेश में अनेक भागों में भूख से हुई मौत के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

(2) सर्वश्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, संजीव शाह सदस्य ने जिला राजनांदगांव के बावामार डोंगरी के घने जंगलों में सागौर

वृक्षों की कटाई के संबंध में वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री तुलेश्वर सिंह, राज्य मंत्री वन ने इस पर वक्तव्य दिया.

नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने राजनांदगांव शहर के श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों में पीने के पानी की उचित व्यवस्था न होने,

(2) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने जांजगीर-चांपा के जिला मुख्यालय स्थित शासकीय चिकित्सालय में भारी अव्यवस्था होने,

(3) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य ने जिला रायपुर, तहसील राजिम की कुमारी लता सोनकर की मृत्यु होने पर अपराधियों पर कार्यवाही न होने,

(4) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य ने राजनांदगांव के ग्राम आटरा में राहत राशि भुगतान न होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी.

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव किया कि "श्री बनवारी लाल, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाए."

श्री महेश तिवारी, सदस्य ने उक्त प्रस्ताव का समर्थन किया.

श्री अजीत जोगी, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि - "श्री बनवारी लाल, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाए."

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने उक्त प्रस्ताव का समर्थन किया.

श्री रविन्द्र चौबे, लोक निर्माण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - "श्री बनवारी लाल, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाए."

श्री नंद कुमार पटेल, गृहमंत्री ने उक्त प्रस्ताव का समर्थन किया.

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री बनवारीलाल, सदस्य के छत्तीसगढ़ विधान सभा के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने की घोषणा की.

(1.29 बजे से 2.30 बजे तक अंतराल)

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारी लाल) पीठासीन हुए.]

नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष को बधाई

श्री रविन्द्र चौबे, लोक निर्माण मंत्री, श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष श्री सत्यनारायण शर्मा, शालेय शिक्षा मंत्री, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य तथा श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष महोदय को बधाई दी.

वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री महेश तिवारी, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की (भाषण अपूर्ण)

स्थगन प्रस्ताव

(3.30 बजे चर्चा प्रारंभ)

प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल
2. श्री धर्मजीत सिंह
3. श्री शिवरतन शर्मा
4. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
5. डॉ. हरिदास भारद्वाज
6. श्री अग्नि चन्द्राकर
7. श्री परेश बागबाहरा
8. श्री हरषद मेहता

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

9. श्री अजय चन्द्राकर
10. श्रीमती प्रतिभा चन्द्राकर
11. श्री गंगूराम बघेल
12. श्री डोमेन्द्र भेडिया
13. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया
14. श्री लखमा
15. श्री नारायण प्रसाद चंदेल
16. श्री मंतूराम पवार
17. श्री लीलाराम भोजवानी
18. श्री रामलाल भारद्वाज
19. श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष

श्री नंदकुमार पटेल, गृहमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(शासन के उत्तर के दौरान नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया.)

6.37 बजे विधान सभा गुरूवार, दिनांक 29 मार्च, 2001 (चैत्र 8, 1923) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी.

गुरूवार, दिनांक 29 मार्च, 2001

(चैत्र 8, 1923)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल दिनांक 22 मार्च, 2001 की प्रश्नोत्तर सूची का स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्रं. 1271) एवं तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्रं. 642) सहित 25 तारांकित प्रश्नों में से 7 तारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 5 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 13 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यानाकर्षण

(1) श्री महेश तिवारी, सदस्य ने रायपुर जिला मुख्यालय स्थित मेकाहारा अस्पताल में ग्राम सरोरा निवासी एक महिला की उपचार के अभाव में मौत होने की और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने प्रशासन की लापरवाही से प्रदेश में नशीले पदार्थों की बिक्री की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखण्ड के ग्राम पंचायत सेंदरी की सरपंच द्वारा फर्जी मस्टर रोल से शासकीय राशि का गबन करने,

(2) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने राज्य प्रशासनिक अधिकरण की न्यायपीठ रायपुर में सदस्य की नियुक्ति न होने,

(3) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने रायपुर जिले के तिल्दा विकासखण्ड के मुराग्राम में कार्यरत जयशंकर उपभोक्ता भण्डार की जांच किए जाने,

(4) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने रायगढ़ जिला बरमकेला ब्लॉक के ग्राम सांकरा तक डामरीकृत सड़क न बनाये जाने,

(5) श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने राजनांदगांव जिले में संचालित आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों में स्टाफ एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने, संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी.

अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आगामी शुक्रवार के अशासकीय दिवस हेतु निर्धारित तीन अशासकीय संकल्पों की ग्राह्यता की सूचना पत्रक भाग दो द्वारा जारी की जा चुकी है. ग्राह्य अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित किया जाता है :

1.	अशासकीय संकल्प क्रं. -7	श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सदस्य	40.00 मिनट
2.	अशासकीय संकल्प क्रं. -15	श्री महेश तिवारी, सदस्य	40.00 मिनट
3.	अशासकीय संकल्प क्रं. -21	डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य	40.00 मिनट

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - दिनांक 25 मार्च, 2001 को श्री बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य द्वारा उद्योग विभाग से संबंधित पूछे गए तारांकित प्रश्न क्रमांक-1021 पर चर्चा के दौरान उनके द्वारा आदिमजाति कल्याण विभाग में फर्नीचर क्रय में हुई अनियमितता की जांच हेतु विधायकों की समिति गठित करने की घोषणा की गई थी.

उनके द्वारा मामले की जांच हेतु तीन सदस्यों की समिति गठित की जाती है. समिति में सर्वश्री धर्मजीत सिंह, मंतूराम पवार, एवं महेश तिवारी सदस्य होंगे.

श्री धर्मजीत सिंह समिति के सभापति होंगे.

समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक प्रस्तुत करेगी.

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से मंगलवार दिनांक 3 अप्रैल, 2001 एवं बुधवार, दिनांक 4 अप्रैल, 2001 को विधान सभा की बैठक न रखे जाने संबंधी घोषणा की गई.

वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.]

चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री महेश तिवारी.
2. श्री धर्मजीत सिंह.

(1.30 बजे से 2.30 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.

3. श्री लीलाराम भोजवानी
4. श्री गणेश शंकर बाजपेयी.
5. श्री नारायण प्रसाद चंदेल,
6. श्री अग्नि चन्द्राकर
7. श्री अजय चन्द्राकर
8. श्रीमती प्रतिभा चन्द्राकर
9. श्री शिवरतन शर्मा
10. श्री डोमेन्द्र भेंडिया
11. डॉ. शक्राजीत नायक
12. श्री रामलाल भारद्वाज
13. श्री परेश बागबाहरा
14. श्री अमर अग्रवाल
15. डॉ. हरिदास भारद्वाज
16. श्री ट्खमा

6.05 बजे विधान सभा शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च, 2001 (चैत्र 9, 1923) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी.

शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च, 2001

(चैत्र 9, 1923)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 01 तारांकित प्रश्न का उत्तर तथा 19 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि आज की कार्य सूची में 13 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है. विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम दो ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों के द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे. उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा.

लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी. संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा.

सदन द्वारा सहमति दी गई.

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ शक्राजीत नायक, श्री महेश तिवारी सदस्य ने बस्तर जिले में इमली खरीदी न किए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री डेरहूप्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(नेता प्रतिपक्ष श्री नंद कुमार साय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन पर गड़बड़ियों और विफलता का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया.)

(2) श्री मदनगोपाल सिंह, सदस्य ने सरगुजा जिले में नयापारा की एक स्कूल छात्रा का अपहरण किए जाने के संबंध में गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री नंदकुमार पटेल, गृहमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

सदन में पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं तथा पटल पर रखे गये वक्तव्य

(3) श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य की राजनांदगांव जिला मुख्यालय में पेयजल व्यवस्था संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य.

(4) श्री राजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य की राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ग्राम पंचायत के ग्राम मेहरासरार में फलदार वृक्षों के बीचों-बीच सड़क निर्माण किए जाने सम्बन्धी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(5) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सिकलिंग रोग से पीड़ित रोगियों के उपचार न होने सम्बन्धी सूचना तथा स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य.

(6) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, चोवादास खांडेकर, नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की बागबाहरा क्षेत्र में एक परिवार द्वारा अकाल के कारण पलायन करने तथा उत्तरप्रदेश में बंधक बनाये जाने सम्बन्धी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(7) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर की कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के छात्रों की पुलिस द्वारा पिटाई किए जाने सम्बन्धी सूचना तथा गृहमंत्री का वक्तव्य.

(8) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य श्री राजीव गांधी भू-जल अनुसंधान केन्द्र विगत चार माह से बंद होने के कारण राज्य से बाहर जाने संबंधी सूचना तथा सामान्य प्रशासन मंत्री का वक्तव्य.

(9) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की बेमेतरा पुलिस द्वारा बाल दिवस के दिन बच्चों की पिटाई किए जाने सम्बन्धी सूचना तथा गृहमंत्री का वक्तव्य.

(10) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की रायपुर जिले की पैरी नदी में सिकासेर बांध से अचानक पानी छोड़ने से किसानों की खड़ी फसल नष्ट होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(11) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा संचालित मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के नियमित न किए जाने सम्बन्धी सूचना तथा वाणिज्यिक कर मंत्री का वक्तव्य.

(12) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, हेमचंद यादव, सदस्य की तेंदूपत्ता संग्रहण के प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि के वितरण में अनियमितता सम्बन्धी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.

(13) श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्रीमती श्यामा ध्रुवा, श्री रामविचार नेताम, सदस्य की बस्तर संभाग में मक्का खरीदी पर रोक लगाने संबंधी सूचना तथा खाद्य मंत्री का वक्तव्य.

नियम 267 -क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 16 सूचनायें नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 30 मार्च, 2001 को सदन में लिये जाने की उन्होंने अनुज्ञा प्रदान की है :-

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें उपस्थिति सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी, और उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा.

(1) श्री गौरी शंकर अग्रवाल

(2) श्री छतराम देवांगन

(3) श्री बृजमोहन अग्रवाल

(4) श्रीमती रत्नमाला देवी

(5) श्री संजीव शाह

(6) श्री प्रेम सिंह सिदार

(7) प्रो. गोपालराम

(8) श्री लीलाराम भोजवानी

(9) श्री शिवरतन शर्मा

(10) श्री रामविचार नेताम

(11) श्री नारायण प्रसाद चंदेल

(12) श्री मेघाराम साहू

(13) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया

(14) श्री गंगूराम बघेल

(15) श्री विक्रम दास मोहले

(16) श्री धरम कौशिक

4. वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

श्री नंद कुमार साय, नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा में भाग लिया.

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारी लाल) पीठासीन हुए.]

श्री रामचंद्र सिंहदेव, वित्तमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2.13 बजे से 3.15 बजे तक अंतराल)

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारी लाल) पीठासीन हुए]

अशासकीय संकल्प

(1) श्री डोमेन्द्र भेड़िया, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -"यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि संविधान के अनुच्छेद 347 के तहत छत्तीसगढ़ी बोली को छत्तीसगढ़ राज्य की सरकारी भाषा के रूप में शासकीय मान्यता दी जाये" तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सर्वश्री महेश तिवारी, अमर अग्रवाल, डॉ. शक्राजीत नायक, परेश बागबाहरा, नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा में भाग लिया. श्री धनेन्द्र साहू, राज्य मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरान्त संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृति हुआ.

(2) कार्यसूची के पद-4 के उप पद (2) में दर्ज श्री महेश तिवारी, सदस्य का अशासकीय संकल्प जिसका विषय निम्नानुसार है - "सदन का यह मत है कि छत्तीसगढ़ी की बारह्मारी नदियों के किनारे-किनारे विद्युत लाइने डाली जाकर निजी एवं सहकारी क्षेत्र में उद्वहन सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए तथा इसके अंतर्गत आने वाले सिंचाई क्षेत्रों के एक तिहाई क्षेत्र पर बूंद-बूंद सिंचाई द्वारा इमारती व फलदार वृक्षों के रोपण को अनिवार्य किया जाये." सदन की सहमति से आगामी कार्य दिवस तक के लिए स्थगित किया गया.

(3) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुंत किया कि - "सदन का यह मत है कि प्रदेश में मलेरिया बीमारी से बचाव हेतु प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र पर एक खुराकीय जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराई जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सर्वश्री रामलाल भारद्वाज, परेश बागबाहरा, नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा में भाग लिया.

विचारोपरान्त संकल्प अस्वीकृत हुआ.

नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

दिनांक 15 मार्च, 2001 को राजस्व मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-15 (क्रमांक 860) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने चर्चा उठायी.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

4.40 बजे विधान सभा सोमवार दिनांक 9 अप्रैल, 2001 (चैत्र 19, 1923) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

सोमवार, दिनांक 9 अप्रैल, 2001

(चैत्र 19, 1923)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.
[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए]

1. निधन उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा चौधरी देवीलाल, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, श्री मुकुन्द सखाराम नेवालकर, मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष तथा श्री वेगराज शर्मा, मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए गए.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी, श्री महेश तिवारी, सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए.

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के लिए संवेदना प्रकट की गई.

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिये स्थगित होकर 11.24 बजे पुनः समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 24 तारांकित प्रश्नों में से 8 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में 29 अतारांकित प्रश्नों उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल की समाप्ति पर श्री शिवरतन शर्मा तथा श्री बृजमोहन अग्रवाल सदस्यों ने रायपुर के स्थानीय टी.वी. चैनल में छत्तीसगढ़ शासन के दो मंत्रियों के एक स्कैण्डल में शामिल होने संबंधी समाचार आने का मुद्दा उठाया.

(व्यवधान के बीच भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उपरोक्त विषय पर शासन के वक्तव्य की मांग करते हुए गर्भगृह में आए तथा कुछ समय पश्चात् नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया.)

3. ध्यानाकर्षण

कार्यसूची के पद क्रमांक 2 में दर्ज दोनों ध्यानाकर्षण सूचनायें ध्यानाकर्षणकर्ता सदस्यों के अनुपस्थित रहने से व्यपगत मानी गई.

4. वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री रविन्द्र चौबे, लोक निर्माण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि - **31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त** -

मांग संख्या-22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिए पचपन लाख, छप्पन हजार रुपये.

मांग संख्या-24 लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए एक अरब, अठारह करोड़, अड़तीस लाख, छप्पन हजार रुपये.

मांग संख्या-28 राज्य विधान मण्डल के लिये पांच करोड़, पचहत्तर लाख, छब्बीस हजार रुपये.

मांग संख्या-29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिए पच्चीस करोड़, इकसठ लाख, पच्चीस हजार रुपये.

मांग संख्या-67 लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए इक्यासी करोड़, पचपन लाख, तेईस हजार रुपये.

मंगलवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2001

(चैत्र 20, 1923)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 8 तारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए. प्रश्नोत्तर सूची में 18 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल समाप्त होते ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने नारे लिखे हुये बैनर हाथ में लहराए.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने मुख्यमंत्री द्वारा पेट्रोल पम्प आवंटन हेतु जाली शपथ पत्र देने संबंधी दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की.

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था देते हुए कहा कि माननीय सदस्य द्वारा दी गई उपरोक्त विषयांतर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचना आज प्रातः 10.45 बजे प्राप्त हुई है जो विचाराधीन है. विचारोपरान्त इस पर निर्ण लिया जायेगा.

(नेता प्रतिपक्ष श्री नन्दकुमार साय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

2. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, गंगूराम बघेल, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने प्रदेश में बढ़ रही अपहरण की घटनाओं के संबंध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नन्दकुमार पटेल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) प्रो. गोपाल राम, सदस्य ने जिला सरगुजा के ग्राम फुन्दुरडिहरी में आदिवासियों को बेघर किए जाने के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. नियम-267-क के अधीन विषय

(1) श्री गौरीशंकर अग्रवाल, सदस्य ने कसडोल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अनेक मार्गों की हालत खराब होने,

(2) प्रो. गोपाल राम, सदस्य ने जिला सरगुजा के लोक निर्माण संभाग-2 के कार्यपालन यंत्री तथा सीतापुर के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार एवं अनियमितता किए जाने.

(3) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने रायपुर स्थित तेलीबांधा धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण 6 मरीजों की आँखें खराब होने,

(4) श्री विक्रमदास मोहले, सदस्य ने मुंगेली विकासखंड में पेयजल की समस्या तथा संक्रामक बीमारी होने,

(5) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने किसानों की निःशुल्क बिना अनुमति लिए 50,000 ईंट निर्माण की सुविधा प्रदान किए जाने, संबंधी सूचनाएं पढ़ी.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री चरणसिंह मांझी, सदस्य ने रायपुर जिले के

(1) ग्राम अमलीपदर से भैसमुड़ी ग्राम पंचायत धनोरा तक प्रथम श्रेणी सड़क निर्माण कराये जाने,

(2) देवभोग से गरियाबंद एवं अमलीपदर से देवभोग तक सड़क डामरीकरण कराये जाने,

(3) अधूरी सिंचाई योजना उरमाल जल पलावन, तेलनदी जल पलावन, धूमरापदर बांध दशपुर बांध एवं बगई बांध पूर्ण कराये जाने, एवं,

(4) ग्राम भेजीपदर की नदी में पुल निर्माण कराये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत कीं.

5. वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

(1) श्री माधव सिंह ध्रुव, आदिमजाति कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि- मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावि-व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

मांग संख्या-15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए अठारह करोड़, तेईस लाख, पैंतीस हजार रुपये.
मांग संख्या-133	आदिमजाति कल्याण के लिये दो अरब, उन्तीस करोड़, इकसठ लाख, इकसठ हजार रुपये.
मांग संख्या-41	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना के लिये दो अरब, अट्ठाईस करोड़, इक्यान्वे लाख, तेरह हजार रुपये.
मांग संख्या-42	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल के लिये बाईस करोड़, उन्चास लाख, छब्बीस हजार रुपये.
मांग संख्या-49	अनुसूचित जाति कल्याण के लिये तेरह करोड़, तीन लाख, नब्बे हजार रुपये.
मांग संख्या-53	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये उनसठ लाख, उन्यास हजार रुपये.
मांग संख्या-64	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना के लिये नवासी करोड़, निन्यानवे लाख, इकतालीस हजार रुपये.
मांग संख्या-68	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन के लिये छः करोड़, सत्यासी लाख, पचास हजार रुपये.
मांग संख्या-77	बिलासपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों का विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये छः करोड़, छियासठ लाख, सड़सठ हजार रुपये.
मांग संख्या-82	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये साठ करोड़, छत्तीस लाख, ब्यासी हजार रुपये.
मांग संख्या-83	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये दो करोड़, पच्चीस लाख, चौसठ हजार रुपये.

तक राशि दी जाये.

मांगों पर कटौती प्रस्तुत हुए.

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारी लाल) पीठासीन हुए.]

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा ने भाग लिया -

1. डॉ. हरिदस भारद्वाज
2. श्री धर्मजीत सिंह
3. श्री चौबादास खाण्डेकर

[सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए.]

4. श्री रामदेव राम
5. श्री विक्रम दास मोहले
6. प्रो. गोपाल राम
7. श्री चरण सिंह मांझी
8. श्री डोमेन्द्र भेडिया
9. श्री लखमा
10. श्रीमती श्यामा ध्रुवा

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.]

11. डॉ. रामलाल भारद्वाज
12. इंजी. रामेश्वर खरे
13. डॉ. शक्राजीत नायक
14. श्री मंतूराम पंवार
15. श्री गुलाब सिंह

श्री माधव सिंह ध्रुव, आदिमजाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री महेन्द्र कर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि- 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

मांग संख्या-11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिये छः करोड़, तिरपन लाख, उन्नीस हजार रुपये.
मांग संख्या-56	ग्रामोद्योग के लिये छः करोड़, सत्तर लाख, तेरह हजार रुपये
मांग संख्या-78	ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिये- सात करोड़, सोलह लाख इक्कीस हजार रुपये.

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया-

1. श्री परेश बागबाहरा
2. श्री धर्मजीत सिंह
3. श्री अमर अग्रवाल

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

4. श्री धरम कौशिक
5. श्री लीलाराम भोजवानी
6. श्री रामदेव राम
7. डॉ. हरिदास भारद्वाज
8. श्री मदनसिंह डहरिया

श्री महेन्द्र कर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

सायं 5.36 बजे, विधान सभा बुधवार, दिनांक 11 अप्रैल, 2001 (चैत्र 21, 1923) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

बुधवार, दिनांक 11 अप्रैल, 2001

(चैत्र 21, 1923)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 11 तारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

[प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक 1607) पर ईजी. रामेश्वर खरे, सदस्य ने थाना प्रभारी के निलंबन की मांग करते हुए गर्भगृह में धरना दिया तथा माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर कुछ समय पश्चात् वापस अपने आसन पर चले गये.]

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 01 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 22 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था

प्रश्नकाल की समाप्ति के तुरंत पश्चात् श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने मुख्यमंत्री द्वारा पेट्रोल पम्प आवंटन में फर्जी शपथ-पत्र देने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की.

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि- सदन के नेता तथा नेता प्रतिपक्ष आज सदन में उपस्थित नहीं हैं. माननीय सदस्य उनसे कक्ष में मिल लें. उनके द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना माननीय सदस्य को मिल जाएगी.

श्री गंगूराम बघेल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि माननीय सदस्यों द्वारा अकाल तथा किसानों के कृषि ऋण पर ब्याज माफ करने संबंधी दिए गए स्थगन तथा ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर सदन में चर्चा करायी जाए.

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि विभाग की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं.

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा चर्चा कराने के लिए नारे लगाए गए तथा सर्वश्री गंगूराम बघेल, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, जगजीत सिंह मक्कड़, सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया.)

3. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, बृजमोहन अग्रवाल, लीलाराम भोजवानी सदस्य ने दुर्ग वन मंडल में गोंद खरीदी में अनियमितता होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री डेरहूप्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा सदस्य ने जिला कांकेर के ग्राम बुधियारमारी में बॉक्साइट का अवैध उत्खनन होने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामपुकार सिंह, खनिज साधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री विक्रमदास मोहले, सदस्य ने मुंगेली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कारीमाटी में ट्रांसफार्मर लगाए जाने,

(2) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने रायगढ़ जिले के सारंगढ़ तहसील के गोमंडा अभ्यारण्य के वन्यप्राणियों द्वारा किसानों की फसल नुकसान होने तथा वन्यप्राणियों के पीने के पानी की व्यवस्था करने,

(3) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य ने राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखण्ड मिथरा टोला के सरपंच द्वारा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान न करने,

(4) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने शासकीय हाईस्कूल गढ़ फुल झड़ में परीक्षा केन्द्र में अचानक परिवर्तन किए जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएँ पढ़ीं गईं.

संकल्प

श्री रविन्द्र चौबे, लोक निर्माण मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि "सौ वर्ष पूर्व सन् 1901 को पंजाब प्रान्त के पं. गौरीदत्त जी महाराज के प्रयासों के परिणामस्वरूप अंग्रेजी शासन ने राष्ट्रभाषा हिन्दी में शिक्षा एवं सरकारी कामकाज हेतु अध्यादेश जारी किया था. गौरव के उन क्षणों का स्मरण करते हुए छत्तीसगढ़ विधान सभा यह संकल्प पारित करती है कि समग्र राज्य में वर्ष 2001 को हिन्दी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाए. सरकारी कामकाज हिन्दी में ही किए जाने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दुहराती है."

श्री महेश तिवारी, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

माननीय अध्यक्ष महोदय ने संकल्प पर संक्षिप्त उद्बोधन दिया.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

वर्ष 2001-2002 की अनुदान की मांगों पर मतदान

1. श्री नन्द कुमार पटेल, गृह मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

मांग संख्या-3	पुलिस के लिए दो अरब, चालीस करोड़, चौरासी लाख, चौरानबे हजार रुपये
मांग संख्या-4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए एक करोड़, छियानबे लाख, उनहत्तर हजार रुपये
मांग संख्या-5	जेल के लिए पंद्रह करोड़, छियत्तर लाख, दस हजार रुपये
मांग संख्या-36	परिवहन के लिए सात करोड़, छः लाख, अस्सी हजार रुपये
मांग संख्या-65	विमानन विभाग के लिए पंद्रह करोड़, सतहत्तर लाख, चौंतीस हजार रुपये

तक की राशि दी जाये.

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री गंगूराम बघेल

[सभापति महोदय (श्री महेश तिवारी) पीठासीन हुए.]

(2) श्री गणेश शंकर बाजपेयी

(3) इंजी. रामेश्वर खरे

(4) श्री शिवरतन शर्मा

[सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए.]

(5) श्री रामदेव राम
(6) श्री महेश तिवारी
(7) डॉ. छबिलाल रात्रे
(8) प्रो. गोपालराम
(9) श्री ननकीराम कंवर
(10) श्री लखमा
(11) श्री अजय चन्द्राकर
(12) श्री भानुप्रताप
(13) श्री प्रेमसिंह सिदार
(14) श्री लीलाराम भोजवानी

[सभापति महोदय (श्री महेश तिवारी) पीठासीन हुए.]

(15) डॉ. हरिदास भारद्वाज
(16) श्री परेश बागबाहरा

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

श्री धनेश पटिला, ऊर्जा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त-

मांग संख्या -12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय के लिये- बयासी करोड़, पैंसठ लाख, नवासी हजार रुपये
मांग संख्या -23	जल संसाधन विभाग के लिए- एक अरब, उन्सठ करोड़, अड़सठ लाख, अन्ठानबे हजार रुपये
मांग संख्या -40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय के लिए- एक करोड़, इकसठ लाख, छब्बीस हजार रुपये
मांग संख्या -45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए- उन्नीस करोड़, नब्बे लाख, बयालीस हजार रुपये
मांग संख्या -57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए- चार करोड़, सैंतालीस लाख, सड़सठ हजार रुपये
मांग संख्या -75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए- छब्बीस करोड़, बाईस लाख, नब्बे हजार रुपये तक की राशि दी जाये.

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री महेश तिवारी (भाषण अपूर्ण)

4.59 बजे विधान सभा कल गुरुवार, दिनांक 12 अप्रैल, 2001 (चैत्र 22, 1923) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी.

गुरुवार, दिनांक 12 अप्रैल, 2001

(चैत्र 22, 1923)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 11 तारांकित प्रश्नों में से प्रथम चक्र में 6 प्रश्नों पर तथा द्वितीय चक्र में 01 प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में 14 अतारांकित प्रश्नों के भी उत्तर शामिल थे.

2. वक्तव्य

श्री अजीत जोगी, मुख्यमंत्री ने पेट्रोल पम्प आवंटन हेतु जाली शपथ-पत्र दिये जाने संबंधी समाचार पत्रों में लगे आरोपों के संबंध में वक्तव्य दिया.

श्री महेश तिवारी, सदस्य ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की.

3. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य ने रायपुर जिले में स्थापित सीमेंट कंपनियों द्वारा आदिवासी किसानों की जमीन खरीदने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) श्री लोकेन्द्र यादव, सदस्य ने दुर्ग जिले की बालोद नगर जल प्रदाय योजना में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखण्ड में जनपद पंचायत कर्मियों द्वारा सूखा राहत कार्यों में अनियमितता किये जाने,

(2) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने किसानों को ट्रेक्टर से परिवार के लोगों के आवागमन करने पर पुलिस द्वारा ट्रेक्टर का चालान किए जाने से छूट प्रदान किये जाने,

(3) श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखण्ड के ग्राम पंचायत टेका-हरदी के सरपंच द्वारा निराश्रित पेंशन भुगतान में अनियमितता किए जाने,

(4) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने बंदोबस्त योजना के संपादित कार्यों की समीक्षा किए बिना सरकार द्वारा इस अमले को अन्य योजना में लगाये जाने,

(5) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने रायपुर तेलीबांधा स्थित धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय के डाक्टर की लापरवाही से 6 मरीजों की आखें खराब होने, संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

5. राष्ट्रकुल संसदीय संघ तथा भारतीय संसदीय संघ की छत्तीसगढ़ शाखा के गठन संबंधी प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि -भारत के अन्य विधान मण्डलों की भांति छत्तीसगढ़ विधान सभा को भी राष्ट्रकुल संसदीय संघ एवं भारतीय संसदीय संघ की सदस्यता ग्रहण करना है. इस संबंध में सदन से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है.

उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि- ''यह सदन राष्ट्रकुल संसदीय संघ एवं भारतीय संसदीय संघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन करता है. यह सदस्यता राष्ट्रकुल संसदीय संघ एवं भारतीय संसदीय संघ द्वारा आवेदन को अनुमोदित किए जाने पर प्रभावशील होगी.

यह सदन राष्ट्रकुल संसदीय संघ तथा भारतीय संसदीय संघ के संविधान के प्रावधानों को मान्य करने और संघ द्वारा वांछित सदस्यता शुल्क का भुगतान करने हेतु भी सहमत है.

सदन यह भी अनुशंसा करता है कि सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को राष्ट्रकुल संसदीय संघ एवं भारतीय संसदीय संघ को तत्काल भेज दिया जाए.

मैं समझता हूं सदन उपरोक्त प्रस्ताव से सहमत है.

प्रस्ताव पर सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

6. नियम 245 के तहत अनौपचारिक प्रस्ताव

श्री गणेशशंकर वाजपेयी, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि- ''छत्तीसगढ़ शासन ने गुजरात राज्य में भूकम्प से प्रभावित राजकोट जिले के मोरवी तहसील के ग्राम पिपलिया को गोद लिया है, जिसमें पूर्ण रूप से बसाहट के लिये लगभग 3.85 करोड़ रुपये का व्यय होगा. अतः छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी सांसदगण एवं विधायकगण अपने-अपने क्षेत्रीय विकास मद से क्रमशः पांच-पांच लाख एवं एक-एक लाख रुपये की राशि सहयोग के लिये प्रदान करें.''

सर्वश्री नन्दकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष, अजीत जोगी, मुख्यमंत्री, दाऊराम रत्नाकर, तरूण चटर्जी, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

7. वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री धनेश पटिला, ऊर्जा मंत्री की मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर पुनर्गृहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री महेश तिवारी

(2) श्री घनाराम साहू

[सभापति महोदय (श्री महेश तिवारी) पीठासीन हुए.]

(3) डॉ. शक्राजीत नायक

(4) श्री गणेश शंकर वाजपेयी

(5) श्री दाऊराम रत्नाकर

[सभापति महोदय (श्री डोमेन्द्र भेंडिया) पीठासीन हुए.]

(6) श्री परेश बागबाहरा

[सभापति महोदय (श्री गणेशशंकर वाजपेयी) पीठासीन हुए.]

(7) श्री अग्नि चन्द्राकर

(8) श्री चोवादास खाण्डेकर

(9) प्रो. गोपाल राम

(10) श्री डोमेन्द्र भेंडिया

(11) डॉ. हरिदास भारद्वाज

(12) डॉ. छबिलाल रात्रे

(13) श्री लोकेन्द्र यादव

(14) डॉ. रामलाल भारद्वाज

(15) श्री शिवरतन शर्मा

(16) श्री अजय चन्द्राकर

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

(17) श्री मन्तूराम पवार

(18) श्री देवव्रत सिंह

(19) इंजी. रामेश्वर खरे

श्री धनेश पटिया, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

2. श्री चनेश राम राठिया, खाद्य मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ''लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि के अतिरिक्त-

मांग संख्या -39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय के लिये उन्तीस करोड़, एक लाख, इक्यासी हजार रुपये, तक की राशि दी जाए.

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

8. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि - कार्यमंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 12 अप्रैल, 2001 को संपन्न हुई जिसमें निम्नलिखित कार्यों के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :

(1)	छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल विधेयक 2001, (क्रमांक 7 सन् 2001)	2 घंटे
(2)	छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 8 सन् 2001)	1 घंटा
(3)	छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) विधेयक, 2001	15 मिनिट
(4)	छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) विधेयक, 2001	15 मिनिट
(5)	छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) विधेयक, 2001	15 मिनिट
(6)	छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य, वेतन, भत्ता तथा पेंशन विधेयक, 2001	15 मिनिट
(7)	छत्तीसगढ़ प्रवासी श्रमिक हित संरक्षण विधेयक, 2001	2 घंटे 30 मिनिट

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 16 अप्रैल, 2001 से 20 अप्रैल, 2001 तक सदन की कार्यवाही सायं 07.00 बजे तक चलेगी, इस दौरान भोजन अवकाश नहीं होगा.

डॉ. प्रेमसाय सिंह, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि "सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

9. वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

श्री चनेशराम राठिया, खाद्य मंत्री के विभागों की मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्य ने भाग लिया : -

(1) श्री ननकीराम कंवर (भाषण अपूर्ण)

सायं 5.06 बजे विधान सभा सोमवार, दिनांक 16 अप्रैल, 2001 (चैत्र 26, 1923) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

सोमवार, दिनांक 16 अप्रैल, 2001

(चैत्र 26, 1923)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.
[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 21 तारांकित प्रश्नों में से प्रथम चक्र में 11 प्रश्नों पर तथा द्वितीय चक्र में 2 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये ..

प्रश्नोत्तर सूची में 22 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल की समाप्ति पर नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय सहित भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा प्रदेश के कृषकों को प्राकृतिक आपदा के कारण ऋण सुविधा उपलब्ध न होने तथा किसानों का ऋण ब्याज माफ करने के संबंध में दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा तथा माननीय मुख्यमंत्री के वक्तव्य की मांग की गई.

श्री अजीत जोगी, मुख्यमंत्री जी ने संक्षिप्त वक्तव्य दिया.

प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा ऋण ब्याज माफी की घोषणा की मांग पुनः करने पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य हो चुका है. विभाग की मांगों पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य विस्तार से अपने विचार रख सकते हैं.

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आकर बैठ गए)

व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 12.37 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित की गई.

12.52 बजे सदन की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

सदस्य श्री गंगूराम बघेल ने अकाल के कारण डिफाल्टर कृषकों हेतु बीज खाद की व्यवस्था की मांग की. संसदीय कार्यमंत्री ने पीड़ित कृषकों को शासन की ओर से यथासंभव सहयोग का आश्वासन दिया.

2. ध्यानाकर्षण

1. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा सदस्यों ने प्रदेश में जहरीली शराब की बिक्री होने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामचन्द्र सिंह देव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने खल्लारी विधान सभा क्षेत्र के बागबाहरा वन परिक्षेत्र में बीजा वृक्षों की अवैध कटाई की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया

श्री डेरहूप्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले की खराब सड़कों का निर्माण एवं डामरीकरण कराये जाने,

(2) श्री नारायणप्रसाद चंदेल, सदस्य ने जांजगीर के लिए चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं चिकित्सकीय सामग्री का अभाव होने,

(3) श्री मेघाराम साहू, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र सक्ती जिला कोरबा के करतला विकासखण्ड के ग्रामों में बांध से सिंचाई सुविधा न होने,

(4) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने सरगुजा जिला वाड्रफनगर के एस.डी.एम. एवं तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने,

(5) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने जिला दुर्ग के शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन न मिलने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

4. वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

(1) श्री चनेशराम राठिया, खाद्य मंत्री की विभागों की मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर पुनर्गृहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री ननकीराम कंवर

[सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए.]

(2) श्री हरषद मेहता

(3) श्री परेश बागबाहरा

(4) श्री भानुप्रताप

(5) डॉ. हरिदास भारद्वाज

(6) प्रो. गोपालराम

(7) श्री धरम कौशिक

(8) श्री रामदेव राम

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल अग्रवाल) पीठासीन हुए.]

श्री चनेशराम राठिया, खाद्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि - 31 मार्च 2002 को प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ''लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि'' के अतिरिक्त-

मांग संख्या -27 स्कूल शिक्षा के लिए छः अरब, सोलह करोड़ चौपन लाख सैंतीस हजार रुपये,

मांग संख्या -44 उच्च शिक्षा के लिए सत्तर करोड़, बयासी लाख सैंतीस हजार रुपये,

मांग संख्या -46 विज्ञान और टेक्नालाजी के लिए बासठ लाख बारह हजार रुपये, तथा

मांग संख्या -47 तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग के लिए त्रियालिस करोड़, छियासी लाख, ग्यारह हजार रुपये,

तक की राशि दी जाए.

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. शक्राजीत नायक
(2) श्री धर्मजीत सिंह
(3) श्री शिवरतन शर्मा
(4) श्री मंतूराम पवार
(5) प्रो. गोपाल राम
(6) श्रीमती फूलो देवी नेताम
(7) श्री परेश बागबाहरा
(8) श्री छतराम देवांगन
(9) श्रीमती श्यामा ध्रुवा

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(3) श्री अमितेष शुक्ल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि -31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ''लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि'' के अतिरिक्त-

मांग संख्या -30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय के लिए-एक अरब, सैंतीस करोड़, दो लाख, बयासी हजार रुपए, 'तथा

मांग संख्या -80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए एक अरब, उनसठ करोड़, अट्ठावन लाख, उन्यासी हजार रुपये,

तक की राशि दी जाए.

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री गंगूराम बघेल

[सभापति महोदय (श्री महेश तिवारी) पीठासीन हुए.]

(2) श्री धर्मजीत सिंह

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

(3) प्रो. गोपाल राम

(4) श्री महेश तिवारी

(5) श्री हरषद मेहता

(6) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया

(7) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर

श्री अमितेष शुक्ल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों के प्रस्ताव की स्वीकृति पर मत विभाजन हुआ. प्रस्ताव के पक्ष में 18 मत तथा विपक्ष में 17 मत प्राप्त हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

सायं 7.21 बजे विधान सभा मंगलवार, दिनांक 17 अप्रैल, 2001 (चैत्र 27, 1923) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

सोमवार, दिनांक 17 अप्रैल, 2001

(चैत्र 27, 1923)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 9 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये.

(तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 1892) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 15 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 19 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल की समाप्ति पर सर्वश्री दाऊराम रत्नाकर, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा एवं गंगूराम बघेल, सदस्यों ने ध्यानाकर्षण एवं स्थगन की दी हुई सूचनाओं पर चर्चा की मांग की.

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि माननीय सदस्यों की सूचनाएं विचाराधीन हैं. माननीय सदस्य चाहें तो कक्ष में आकर उनसे चर्चा कर सकते हैं.

2. ध्यानाकर्षण

(1) श्री दाऊराम रत्नाकर, सदस्य ने जैजेपुर थानान्तर्गत ग्राम भीरसी की एक बालिका के साथ बलात्कार होने के संबंध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारी लाल अग्रवाल) पीठासीन हुए.]

(श्री दाऊराम रत्नाकर, सदस्य ने सरकार की निष्क्रियता के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया)

(2) श्री गुलाब, सदस्य ने सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत नर्मदापुर में महादेवपुरा तालाब के गहरीकरण में अनियमितता होने के संबंध में जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री धनेश पटिला, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री छतराम देवांगन सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा के अकलतरा सामुदयिक वि.खं. बलोदा में पदस्थ महिला चिकित्सक की अनुपस्थिति से स्वास्थ्य सेवायें प्रभावित होने,

(2) श्री संजीव शाह, सदस्य ने राजनांदगांव जिले के चौकी विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की स्थिति जर्जर होने,

(3) श्री चोवादास खाण्डेकर, सदस्य ने बिलासपुर जिले के अन्तर्गत मुंगेली से बिलासपुर के बीच जीप चालकों द्वारा अवैध रूप से परिवहन कर राज्य परिवहन निगम को नुकसान पहुंचाने,

(4) श्री चरणसिंह मांझी, सदस्य ने जिला रायपुर विकासखण्ड देवभोग के गुड़ागांव चिचिया, गिरसुल में स्कूल भवनों का घटिया निर्माण होने,

(5) प्रो. गोपाल राम, सदस्य ने जिला सरगुजा के राजीव गांधी जलग्रहण योजना में विकासखण्ड मैनपाट ग्राम चिड़ापारा अन्तर्गत कराये गये कार्यों की मजदूरी का भुगतान कराये जाने, संबंधी शून्यकाल की सूचनायें प्रस्तुत कीं.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने चांपा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम उमरेली और पौड़ीकला के बीच स्थित सोन नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत की.

5. वर्ष 2001-2002 की अनुदान की मांगों पर मतदान

(1) श्रीमती गीतादेवी सिंह, कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" का अतिरिक्त-

मांग संख्या - 34 समाज कल्याण के लिए- पांच करोड़, सोलह लाख, ग्यारह हजार रुपये, तथा

मांग संख्या - 55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय के लिए- निन्यानवे करोड़, पचहत्तर लाख, सन्तानवे हजार रुपये, तक की राशि दी जाये.

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्रीमती रत्नमाला देवी

(2) श्री डोमेन्द्र भेंडिया

(3) श्रीमती श्यामा ध्रुवा

(4) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर

(5) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया

(6) श्री हरषद मेहता

श्रीमती गीतादेवी सिंह, कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

6. समितियों के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा.

अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 9-9 सदस्यों को वर्ष 2001-2002 के लिए समिति का सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया :-

लोक लेखा समिति

1. श्री घनाराम साहू
2. श्री धर्मजीत सिंह
3. श्री राजेन्द्र पामभोई
4. श्री मदनगोपाल सिंह
5. श्री देवव्रत सिंह
6. श्री महेश तिवारी
7. श्री नारायण प्रसाद चंदेल
8. डॉ. शक्राजीत नायक
9. श्री बृजमोहन अग्रवाल

श्री महेश तिवारी, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

प्राक्कलन समिति

1. श्री अग्नि चन्द्राकर
2. श्री मन्तुराम पवार
3. श्री रामदेव
4. श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर
5. श्री योगेश्वर राज सिंह
6. श्री तरूण चटर्जी
7. श्री लीलाराम भोजवानी
8. श्री अमर अग्रवाल
9. श्री दाऊराम रत्नाकर

श्री अग्नि चन्द्राकर, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

1. श्री गणेश शंकर
2. श्री डोमेन्द्र भेंडिया
3. डॉ. रामलाल भारद्वाज
4. श्री हर्षद मेहता

5. श्री भुरसूराम नाग
6. श्री शिवरतन शर्मा
7. श्री अजय चन्द्राकर
8. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया
9. प्रो. गोपालराम

श्री गणेश शंकर, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

1. श्री झितरूराम बघेल
2. डॉ. छबिलाल रात्रे
3. श्री चैनसिंह सामले
4. श्री अग्नि चन्द्राकर
5. श्रीमती फुलंदेवी नेताम
6. श्री विक्रम मोहले
7. श्रीमती श्यामा ध्रुवा
8. डॉ. हरिदास भारद्वाज
9. श्री चरणसिंह मांझी

श्री झितरूराम बघेल, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

नाम-निर्दिष्ट समितियों का गठन

अध्यक्ष महोदय द्वारा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203 (1), 208 (1), 213, 217 (1), 224(2), 225(1), 231(2), 232, 233(1), 234-ग, 234-घ(2), 234-च(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समितियों के सदस्यों को वर्ष 2001-2002 की अवधि में सेवा करने के लिए नाम-निर्दिष्ट तथा नियम-180 के उप नियम (1) के अधीन उनके सभापतियों को नियुक्त किया गया.

कार्यमंत्रणा समिति

1. श्री अजीत जोगी, मुख्यमंत्री
2. श्री रविन्द्र चौबे, मंत्री
3. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, मंत्री
4. श्री नंदकुमार पटेल, मंत्री
5. श्री सत्यनारायण शर्मा, मंत्री
6. श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष
7. श्री महेश तिवारी, सदस्य
8. श्री गंगूराम बघेल, सदस्य

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति होंगे.

इसके अतिरिक्त श्री बनवारी लाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष विधान सभा, सर्वश्री दाऊराम रत्नाकर, हीरासिंह मरकाम एवं तरूण चटर्जी, सदस्य विशेष आमंत्रित होंगे.

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

1. श्री चैनसिंह सामले,
2. श्री भानुप्रताप सिंह,
3. श्री अन्तुराम कश्यप,
4. श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर,
5. डॉ. हरिदास भारद्वाज,
6. श्री मदन सिंह डहरिया,
7. श्री अमर अग्रवाल,

श्री चैनसिंह सामले, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

याचिका समिति

1. श्री देवव्रत सिंह
2. श्री धर्मजीत सिंह
3. श्रीमती प्रतिभा शाह
4. श्री लखमा
5. श्री मेघाराम साहू
6. श्री परेश बागबाहरा
7. श्री सोहनलाल

श्री देवव्रत सिंह, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

प्रत्यायुक्त विधान समिति

1. डॉ. रामलाल भारद्वाज
2. श्री हर्षद मेहता
3. श्री अन्तुराम कश्यप
4. श्री लखमा
5. श्री धरम कौशिक
6. श्री शिवरतन शर्मा
7. श्री अजय चंद्राकर

डॉ. रामलाल भारद्वाज, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

1. श्री मदन गोपाल सिंह
2. श्री चैनसिंह सामले
3. श्रीमती फुलोदेवी नेताम
4. श्री राजेन्द्र पामभोई
5. श्री रामविचार नेताम
6. श्री संजीव शाह
7. श्री लोकन्द्र यादव

श्री मदन गोपाल सिंह, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

विशेषाधिकारी समिति

1. श्री डोमेन्द्र भेंडिया
2. श्री चैनसिंह सामले
3. डॉ. छबिलाल रात्रे
4. श्री धर्मजीत सिंह
5. श्री ननकीराम कंवर
6. श्री महेश तिवारी
7. श्री नारायण प्रसाद चंदेल

श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

नियम समिति

1. श्री अग्नि चन्द्राकर
2. श्री देवव्रत सिंह
3. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया
4. श्री तरूण चटर्जी
5. श्री हेमचंद यादव

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति तथा श्री रविन्द्र चौबे, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री पदेन सदस्य होंगे.

सदन समिति

1. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
2. श्री मन्तुराम पवार
3. श्री चैनसिंह सामले
4. श्री घनाराम साहू
5. श्री लीलाराम भोजवानी
6. डॉ. शक्राजीत नायक
7. श्री ननकीराम कंवर

श्री गणेश शंकर बाजपेयी, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

पुस्तकालय समिति

1. श्री धर्मजीत सिंह
2. श्री झितरूराम बघेल
3. श्री रामदेव
4. श्री हर्षद मेहता
5. श्री प्रेमसिंह सिदार
6. श्री जगजीत सिंह मक्कड़
7. श्री चोवादास खाण्डेकर

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण संबंधी समिति

1. श्री भुरसूराम नाग
2. श्री घनाराम साहू
3. श्रीमती प्रतिभा साह
4. श्री रामदेव
5. श्री गणेशराम भगत
6. श्री विक्रम मोहले
7. श्री चरण सिंह मांझी

श्री भुरसूराम नाग, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

1. श्री अन्तुराम कश्यप
2. श्री गुलाब
3. श्री योगश्वर राज सिंह
4. श्री भानुप्रताप
5. श्री गंगूराम बघेल
6. श्री गौरीशंकर अग्रवाल
7. श्री नारायण प्रसाद चंदेल

श्री अन्तुराम कश्यप, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति

1. श्रीमती फुलोदेवी नेताम
2. श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर
3. श्रीमती प्रतिभा शाह
4. डॉ. रामलाल भारद्वाज
5. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
6. श्रीमती श्यामा ध्रुवा
7. श्रीमती रानी रत्नमाला देवी
8. श्री छतराम देवांगन
9. श्री हीरासिंह मरकाम

श्रीमती फुलोदेवी नेताम, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त-

मांग संख्या - 1 सामान्य प्रशासन के लिये छब्बीस करोड़, अट्ठावन लाख, इक्यासी हजार रुपये,

मांग संख्या - 2 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिये एक करोड़, बावन लाख, सैंतीस हजार रुपये,

मांग संख्या - 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए एक अरब, तिरपन करोड़, पंद्रह लाख, पैंसठ हजार रुपये,

मांग संख्या - 61 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिये दो करोड़, ब्यानवे लाख, चालीस हजार रुपये, तथा

मांग संख्या - 79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय के लिये उन्तीस करोड़, तिरपन लाख, चालीस हजार रुपये तक की राशि दी जाये.

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया.

(1) श्री धरम कौशिक

[सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए.]

(2) श्री धर्मजीत सिंह

(3) श्री ननकीराम कंवर

(4) श्रीमती फुलोदेवी नेताम

(5) श्री नारायण प्रसाद चंदेल

[सभापति महोदय (श्री महेश तिवारी) पीठासीन हुए.]

(6) श्री दाऊराम रत्नाकर

(7) श्री चैनसिंह सामले

(8) श्री हरषद मेहता

(9) श्री शिवरतन शर्मा

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए]

(10) प्रो. गोपाल

श्री कृष्णकुमार गुप्ता, लोक स्वास्थ्य एवं सामान्य प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(3) डॉ. प्रेमसाय सिंह, कृषि मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि 31 मार्च 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ''लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि'' के अतिरिक्त-

मांग संख्या - 13 कृषि के लिये -छप्पन करोड़, छब्बीस लाख, चालीस हजार रुपये,

मांग संख्या - 14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय के लिये- तैंतीस करोड़, एक लाख चवालीस हजार रुपये,

मांग संख्या - 16 मछली-पालन के लिये - चार करोड़, सत्तावन लाख, सत्रह हजार रुपये,

मांग संख्या - 17 सहकारिता के लिये- चौबीस करोड़, बत्तीस लाख छत्तीस हजार रुपये,

मांग संख्या - 52 कृषि विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिये- तेरह लाख, सत्यासी हजार

रुपये,

मांग संख्या - 54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय के लिये -ग्यारह करोड़, छियासठ लाख, अड़सठ हजार रुपये, तथा

मांग संख्या - 71 पशु-पालन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिये- एक करोड़, चालीस लाख, पंद्रह हजार रुपये,

तक की राशि दी जाये.

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा में सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धनाराम साहू, डॉ. शक्राजीत नायक, गणेशशंकर वाजपेयी, महेश तिवारी, भानुप्रताप, छतराम देवांगन, ननकीराम कंवर, धर्मजीत सिंह, रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, डोमेन्द्र भेंडिया, सदस्यों ने भाग लिया.

डॉ. प्रेमसाय सिंह, कृषि मंत्री से चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(4) श्री रामपुकार सिंह, खनिज साधन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि - 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त-

मांग संख्या - 25 खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय के लिये - छः करोड़, अठारह लाख, उनचालीस हजार रुपये, तथा

मांग संख्या - 32 जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय के लिये - दस करोड़, तिरासी लाख, छत्तीस हजार रुपये,

तक की राशि दी जाये.

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

(2) श्री अग्नि चन्द्राकर
(3) श्री महेश तिवारी
(4) डॉ. छबिलाल रात्रे

श्री रामपुकार सिंह, खनिज साधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(5) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि- 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त-

मांग संख्या - 6 वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिये - तीन अरब, छियासी करोड़, छियालीस लाख, सड़सठ हजार रुपये,

मांग संख्या - 7 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय के लिये - छत्तीस करोड़, पन्चानवे लाख, इक्कीस हजार रुपये,

मांग संख्या - 31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिये -चार करोड़, सतहत्तर लाख, उन्चालीस हजार रुपये,

मांग संख्या - 48 ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान के लिये- बाईस करोड़, अठ्यासी लाख, इक्यावन हजार रुपये,

मांग संख्या - 50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय के लिये - नब्बे लाख, अठ्ठाईस हजार रुपये, तथा

मांग संख्या - 60 जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिये- सात करोड़, छियासठ लाख, सड़सठ हजार रुपये,

तक की राशि दी जाये.

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

सदन की सहमति से मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

सायं 7.01 बजे विधान सभा बुधवार, दिनांक 18 अप्रैल 2001 के (चैत्र 28, 1923) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

बुधवार, दिनांक 18 अप्रैल, 2001

(चैत्र 28, 1923)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठसीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 30 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 40 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री महेश तिवारी, मेघाराम साहू, डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने रायपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान डाक्टरों द्वारा लापरवाही बरते जाने एवं कुछ मरीजों की आंखे निकाले जाने की घटना की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.]

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सरकार की लापरवाही के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(2) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, महेश तिवारी, सदस्य ने रायपुर के थाना सरस्वती नगर में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत होने के संबंध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृहमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री गंगूराम बघेल, सदस्य ने जिला जशपुर विकासखंड अंतर्गत लगाए गए राहत कार्य बोर्ड का भुगतान मजदूरी की राशि से किए जाने,

(2) श्री विक्रमदास मोहले, सदस्य ने, मुंगेली विधान सभा क्षेत्र के मुंगेली, पंडरिया लोरमी विकासखडों के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों में अनियमितता होने,

(3) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा के अंतर्गत नगर चांपा में राजस्व अधिकारियों एवं भू-माफियाओं द्वारा मिलकर चांदा-मुनार गायब करने से नामांतरण एवं सीमांकन के कार्य लंबित होने,

(4) प्रो. गोपाल राम, सदस्य ने जिला सरगुजा के उत्तर वन मण्डल अंतर्गत नलराम परिक्षेत्र में वन विभाग द्वारा मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न किए जाने,

(5) श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने जिला जांजगीर-चाम्पा के अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में जलाशय से नहर नाली का निर्माण न होने से किसानों को सिंचाई की सुविधा न मिलने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी.

4. सामान्य प्रशासन समिति का गठन

अध्यक्ष महोदय द्वारा विधान सभा नियमावली के नियम 234 (1) के अधीन निम्नलिखित माननीय सदस्यों को वर्ष 2001-2002 की अवधि के लिए सामान्य पयोजन समिति के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया :-

1.	श्री अजीत जोगी	मुख्यमंत्री
2.	श्री बनवारी लाल अग्रवाल	उपाध्यक्ष विधान सभा
3.	श्री नन्द कुमार साय	नेता प्रतिपक्ष
4.	श्री नन्द कुमार पटेल	गृह मंत्री
5.	श्री रविन्द्र चौबे	संसदीय कार्य मंत्री
6.	श्री रामचन्द्र सिंहदेव	वित्त मंत्री
7.	श्री महेश तिवारी	सदस्य
8.	श्री अग्नि चन्द्राकर	सदस्य
9.	श्री गणेश शंकर बाजपेयी	सदस्य
10.	श्री झितरूराम बघेल	सदस्य
11.	श्री चैनसिंह सामले	सदस्य
12.	श्री देवव्रत सिंह	सदस्य
13.	डॉ. रामलाल भारद्वाज	सदस्य
14.	श्री मदन गोपाल सिंह	सदस्य
15.	श्री धर्मजीत सिंह	सदस्य
16.	श्री अन्तुराम कश्यप	सदस्य
17.	श्रीमती फूलोदेवी नेताम	सदस्य
18.	श्री दाऊराम रत्नाकर	सदस्य
19.	श्री हीरासिंह मरकाम	सदस्य
20.	श्री भुरसूराम नाग	सदस्य

अध्यक्ष विधान सभा समिति के पदेन सभापति होंगे.

5. राष्ट्रकुल संसदीय संघ (छत्तीसगढ़ शाखा) एवं भारतीय संसदीय संघ के पदाधिकारियों की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि - दिनांक 12 अप्रैल 2001 को सदन द्वारा राष्ट्रकुल संसदीय संघ (छत्तीसगढ़ शाखा) एवं भारतीय संसदीय संघ के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा राष्ट्रकुल संसदीय संघ एवं भारतीय संसदीय संघ के निम्नानुसार पदाधिकारी घोषित किए गए :-

1.	अध्यक्ष विधान सभा	अध्यक्ष
2.	श्री अजीत जोगी, मुख्यमंत्री	कार्यकारी अध्यक्ष
3.	मा. उपाध्यक्ष, विधान सभा एवं	उपाध्यक्ष
4.	नेता प्रतिपक्ष	उपाध्यक्ष
5.	सचिव विधान सभा	कोषाध्यक्ष एवं पदेन सचिव
6.	श्री मोहम्मद अकबर, राज्यमंत्री	सदस्य
7.	श्री चैनसिंह सामले	सदस्य

Scanned with OKEN Scanner

8. श्रीमती प्रतिभा शाह सदस्य
9. श्री रामदेव सदस्य
10. श्री गंगूराम बघेल सदस्य
11. श्री गौरीशंकर अग्रवाल सदस्य

6. छत्तीसगढ़ विधान सभा के "प्रतीक चिह्न" निर्धारण हेतु समिति का गठन

अध्यक्ष महोदय द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा के "प्रतीक चिह्न" के निर्धारण पर अपनी अनुशंसा देने के लिए निम्नलिखित समिति के गठन की घोषणा की गई :-

1. श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री
2. श्री नंद कुमार साय, नेता प्रतिपक्ष
3. डॉ. ए. ए. बोआज, संचालक पुरातत्व
4. श्री ललित सुरजन, वरिष्ठ पत्रकार

अध्यक्ष, विधान सभा समिति के सभापति एवं सचिव, विधान सभा समिति के सचिव होंगे.

7. वक्तव्य

श्री धनेश पटिला, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के आस्तियों, दायित्वों इत्यादि के बंटवारे पर वक्तव्य दिया. श्री महेश तिवारी, सदस्य ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल विधेयक, 2001 (क्रमांक 7 सन् 2001) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

9. वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

(1) श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि - **31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि"** के अतिरिक्त -

मांग संख्या-8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिये-नब्बे करोड़, चार लाख रुपये,
मांग संख्या-9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिये-दस करोड़, बहत्तर लाख, उन्चालीस हजार रुपये,
मांग संख्या-20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिये-पचासी करोड़, चौरासी लाख, छत्तीस हजार रुपये,
मांग संख्या-35	पुनर्वास के लिये-एक करोड़, पैंतीस लाख, अट्ठाइस हजार रुपये, तथा
मांग संख्या-58	प्राकृतिक आपदाओं तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिये-एक अरब, सोलह करोड़, तिहत्तर लाख, छियासी हजार रुपये,

तक की राशि दी जाये.

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्य ने भाग लिया :-

Scanned with OKEN Scanner

1. श्री शिवरतन शर्मा

[सभापति महोदय (श्री महेश तिवारी) पीठासीन हुए.]

2. श्री गणेश शंकर बाजपेयी

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.]

3. श्री छतराम देवांगन
4. श्री अग्नि चन्द्राकर
5. श्री अजय चन्द्राकर
6. श्री लखमा
7. श्री धरम कौशिक
8. श्री धर्मजीत सिंह
9. श्री मदनसिंह डहरिया
10. श्री मंतूराम पवार
11. डॉ. हरिदास भारद्वाज
12. श्री गुलाब
13. श्री परेश बागबाहरा
14. श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर
15. प्रो. गोपाल राम

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

10. नियम 153 (2) का शिथिलीकरण

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया -

"नियमानुसार आज सायं 4.00 बजे तक सभी विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा पूर्ण हो जानी चाहिए. चूंकि सदन के समय में सायं 7.00 बजे तक वृद्धि की गई है तथा कुछ अन्य विभागों की मांगों पर चर्चा होना शेष है. अतः नियम 153 (2) को शिथिल करते हुए शेष बचे विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा पूर्ण होने के उपरान्त विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन किया जाए."

मैं समझता हूं, सदन की सहमति है.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

11. वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(2) श्री शंकर सोढ़ी, श्रम मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि - 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

मांग संख्या-18 श्रम के लिये - छः करोड़, छत्तीस लाख, पचपन हजार रुपये, तथा

मांग संख्या-43 खेल और युवक कल्याण के लिये-एक करोड़, छियासठ लाख इकसठ हजार रुपये,

तक की राशि दी जाये.

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

Scanned with OKEN Scanner

1. श्री लीलाराम भोजवानी

[सभापति महोदय (श्री महेश तिवारी) पीठासीन हुए.]

2. श्री चैनसिंह सामले
3. श्री नारायण प्रसाद चंदेल
4. श्री देवव्रत सिंह
5. श्री ननकीराम कंवर
6. श्री अजय चन्द्राकर

श्री शंकर सोढ़ी, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(3) श्री धनेन्द्र साहू, पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि- **31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त** -

मांग संख्या-26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय के लिये-एक करोड़, चौंतीस लाख, पचास हजार रुपये,

मांग संख्या-37 पर्यटन के लिये-अड़तालीस लाख रुपये, तथा

मांग संख्या-51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिये-पच्चीस लाख, पचास हजार रुपये,

तक की राशि दी जाये.

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल
2. श्री योगेश्वर राज सिंह
3. श्री बनवारीलाल
4. श्री चैनसिंह सामले
5. प्रो. गोपाल राम

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

6. श्री गौरीशंकर अग्रवाल
7. श्री लखमा
8. श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष

श्री धनेन्द्र साहू, पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2001 (क्रमांक 9, सन् 2001) पुरःस्थापित किया.

सायं 6.14 बजे विधान सभा गुरुवार, दिनांक 19 अप्रैल, 2001 (चैत्र 29, 1923) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की

Scanned with OKEN Scanner

गुरुवार, दिनांक 19 अप्रैल, 2001

(चैत्र 29, 1923)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

प्रश्नकाल शुरू होते ही इंजी. रामेश्वर खरे, सदस्य ने सीपत में बाबा साहब आम्बेडकेर पार्क की पट्टिका को तोड़े जाने के संबंध में दिए गए ध्यानाकर्षण की सूचना पर चर्चा की मांग करते हुए गर्भगृह में बैठ गए. माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्नकाल के समय में माननीय सदस्यों को अन्य विषय उठाने की अनुमति नहीं दी गई. व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 11.10 बजे से 12.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई, 12.00 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

श्री दाऊराम रत्नाकर तथा नेता प्रतिपक्ष, श्री नन्दकुमार साय ने सीपत क्षेत्र में ठेकेदारों और अधिकारियों द्वारा बाबा साहब अंबेडकर पार्क की पट्टिका तोड़े जाने के संबंध में दिये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा की मांग की. माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ध्यानाकर्षण अगले दिन के लिए लिया जायेगा.

(इंजी. रामेश्वर खरे, सदस्य अपने आसन पर गये)

श्री नन्दकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 12 अप्रैल को जो वक्तव्य दिया था वह सदन को गुमराह करने वाला था. अतः उस विषय पर सबसे पहले चर्चा कराई जाए. संसदीय कार्य मंत्री, श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि जिस विषय को आसंदी ने अग्राह्य कर दिया हो और उस पर माननीय मुख्यमंत्री ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया हो उस पर सदन में पुनः चर्चा कराने का कोई औचित्य नहीं है.

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जिस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराना चाह रहे हैं उसको उन्होंने अग्राह्य कर दिया है उस पर चर्चा की सदन में अनुमति नहीं है.

(प्रतिपक्षी सदस्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग करते हुए गर्भगृह में आ गये.)

(व्यवधान के चलते सदन की कार्यवाही जारी रही)

1. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार :-

(क) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 (दिनांक 1-7-1999 से दिनांक 30-6-2000 तक) तथा (ख) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का छत्तीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 (दिनांक 1-7-1999 से दिनांक 30-6-2000 तक) पटल पर रखे.

2. ध्यानाकर्षण

(1) श्री मदनगोपाल सिंह, सदस्य ने सरगुजा जिले के ग्राम मोरमी निवासी एक व्यक्ति का नक्सलियों द्वारा अपहरण किए जाने के संबंध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री नंद कुमार पटेल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया. (2) श्री मदनसिंह डहरिया, सदस्य ने जांजगीर जिले के गोपालपुर स्थित रेमण्ड सीमेंट संयंत्र के पंजीयन में अनियमितता होने के संबंध में वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री रामचन्द्र सिंह देव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि निम्नलिखित माननीय सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएँ पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा.

(1) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया

(2) प्रो. गोपालराम

(3) श्री छतराम देवांगन

(4) श्री संजीव शाह

(5) श्री प्रेमसिंह सिदार

4. अशासकीय संकल्पों के समय निर्धारण की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आगामी शुक्रवार के अशासकीय दिवस हेतु निर्धारित चार अशासकीय संकल्पों की ग्राह्यता की सूचना पत्रक भाग-2 द्वारा जारी की जा चुकी है. ग्राह्य अशासकीय संकल्पों पर चर्चा हेतु निम्नानुसार समय निर्धारित किया जाता है :-

1.	अशासकीय संकल्प क्र.-13	श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य 30 मिनट
2.	अशासकीय संकल्प क्र.-16	श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य 45 मिनट
3.	अशासकीय संकल्प क्र.-09	श्री अमर अग्रवाल, सदस्य 30 मिनट
4.	अशासकीय संकल्प क्र.-15	श्री महेश तिवारी, सदस्य 45 मिनट

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री रामचन्द्र सिंह देव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 8 सन् 2001) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया. (2) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 11 सन् 2001) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया. (3) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, ने छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 12 सन् 2001) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया. (4) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 13 सन् 2001) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया. (5) श्री कृष्णकुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 14 सन् 2001) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

6. संकल्प

श्री कृष्णकुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि - "इस सदन का यह मत है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या को देखते हुए शासकीय सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण हेतु संविधान में आवश्यक प्रावधान करने के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया जाए."

संकल्प स्वीकृत हुआ.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2001 (क्रमांक 9 सन् 2001) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधयेक के खंडों पर विचार हुआ.

खंड 2, 3 व अनुसूची विधेयक के अंग बने.
खंड 1 विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2001 (क्रमांक-9 सन् 2001) पारित किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(2) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (विशेष उपबंध) विधेयक, 2001 (क्रमांक-4 सन् 2001) पर विचार किया जाये.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक के खंडों पर विचार हुआ.

खंड 2, 3 व 4 विधेयक का अंग बने.
खंड 1 विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2001 (क्रमांक 4 सन् 2001) पारित किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधयेक पारित हुआ.

(3) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन), विधेयक, 2001 क्रमांक 5 सन् 2001) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक के खंडों पर विचार हुआ.

खंड 2 विधेयक का अंग बना.
खंड 1 विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 5 सन् 2001) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(व्यवधान न होने से 12.25 बजे सदन की कार्यवाही 1.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई. 1.00 बजे सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.)

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारी लाल) पीठासीन हुए.]

प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की पुनः मांग करने पर उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि माननीय सदस्यों द्वारा स्थगन की दी गई सूचना को अध्यक्ष महोदय ने अग्राह्य कर दिया है अन्य किसी नियम के अन्तर्गत माननीय सदस्यों ने सूचना दी हो तो अध्यक्ष महोदय से कक्ष में जाकर मिल कर चर्चा कर सकते हैं.

(भारतीय जनता पार्टी सदस्य गर्भगृह में आ गये तथा सत्तापक्ष, विपक्ष द्वारा नारे लगाये गये.)

लगातार आरोप-प्रत्यारोप होने से सदन की कार्यवाही 1.05 बजे से 10 मिनट के लिये स्थगित की गई. 1.15 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारी लाल) पीठासीन हुए.]

8. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(1) श्री कृष्णकुमार गुप्ता, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल विधेयक 2001 (क्रमांक 7 सन् 2001) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक के खण्डों पर विचार हुआ.

श्री कृष्णकुमार गुप्ता, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक की अनुसूची में "भेषज एवं शल्य चिकित्सा डिप्लोमा" के स्थान पर शब्द "प्रेक्टीशनर इन माडर्न मेडीसीन एवं सर्जरी" प्रस्तावित किया जाय तथा विधेयक की अन्य धाराओं में जहां-जहां शब्द "भेषज एवं शल्य चिकित्सा डिप्लोमा" अंकित है, के स्थान पर शब्द "प्रेक्टीशनर इन माडर्न एवं सर्जरी" प्रस्थापित किया जाए."

संशोधन स्वीकृत हुआ.
खंड 2 से 37 तथा यथासंशोधित अनुसूची विधेयक के अंग बने
खंड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल विधेयक, 2001 (क्रमांक 7 सन् 2001) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

1.22 बजे सदन की कार्यवाही अपराह्न 3.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई. 3.00 बजे सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारी लाल) पीठासीन हुए.]

सर्वश्री महेश तिवारी एवं बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि सदन में किसी माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात यदि तथ्यों के खिलाफ जाती है तो उस संबंध में चर्चा का अधिकार माननीय सदस्यों को है. इस संबंध में माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि सदन के अन्दर कोई भी सम्मानित सदस्य, सम्मानित मंत्री या मुख्यमंत्री या कोई बात कहता है तो उसे कहने का अधिकार है, बयान देने का अधिकार है यदि माननीय सदस्यों को ऐसा लगता है कि उनके कथन में कोई असत्य बात है तो उसको वे नियम एवं प्रक्रिया अंतर्गत ही सदन में उठा सकते हैं.

व्यवधान होने से 3.22 बजे सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित की गई. 3.55 बजे सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारी लाल) पीठासीन हुए.]

व्यवधान के बीच माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा उठाने के लिये श्री गौरीशंकर अग्रवाल, सदस्य का नाम पुकारा गया, लेकिन वे खड़े नहीं हुए. लगातार व्यवधान होने से 3.59 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल, 2001 (चैत्र 30, 1923) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

Scanned with OKEN Scanner

शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल 2001

(चैत्र 30, 1923)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे समवेत हुई.

[माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

प्रश्नकाल शुरू होते ही श्री महेश तिवारी तथा कई अन्य प्रतिपक्षी सदस्य खड़े होकर यह कहने लगे कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार मांग की सूचना दी है अतः उस पर चर्चा कराई जाये.

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आज इस सत्र का समापन दिवस है. सभी माननीय सदस्य गम्भीर संसदीय संस्कृति के उन्नायक और संसदीय गतिविधियों से भिज्ञ है. अंतिम दिन मधुर रहे, सब लोग अच्छे संस्मरणों को लेकर जायें और प्रश्नकाल की यह परम्परा है कि अबाधित रूप से प्रश्नकाल को चलने देना चाहिए. चाहे स्थगन प्रस्ताव की बात हो तो भी प्रश्नकाल को चलने देना चाहिए. प्रश्नकाल में विघ्नबाधा पहुंचाना सर्वथा न केवल नियमों का व्यतिक्रम है बल्कि असंसदीय भी है. प्रश्नकाल के बाद शून्य काल में जो भी बातें कही जायेंगी, वह अगर लिए जाने योग्य होंगी तो ली जायेंगी.

नेता प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्षी सदस्य लगातार व्यवधान के बीच विशेषाधिकार की सूचना पर चर्चा की मांग करते रहे. व्यवधान होने से माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही 11.11 बजे से 12.00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. 12.00 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

श्री दाऊराम रत्नाकर, सदस्य ने सतनामी समाज की एक महिला के साथ तथा गोरसी ग्राम में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार होने तथा अपराधियों के गिरफ्तार न होने के संबंध में मामला उठाया. व्यवधान के बीच श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने विशेषाधिकार भंग की दी हुई सूचना पर चर्चा कराने की मांग की.

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार भंग की सूचना आज ही प्राप्त हुई है, जिसे उनके द्वारा पूरे दस्तावेज और सारी चीजों के साथ देखा नहीं गया है. विशेषाधिकार भंग की कार्यवाही लगभग न्यायायिक कार्यवाही के समान होती है. इसलिए उनके द्वारा उसको पहले देखा जायेगा तथा विशेषाधिकार भंग की सूचना को पढ़ा जायेगा और उन्हें लगेगा कि आगे कार्यवाही करना है तो संबंधित पक्षकार को "प्रिंसीपल ऑफ नेचुरल जस्टिस" के अन्तर्गत पक्ष रखने का अवसर देंगे और उसके बाद आगे जैसी कार्यवाही होगी वह की जायेगी.

नियम-239 के अन्तर्गत सदन को सूचना

व्यवधान के बीच अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि निम्नांकित विशेषाधिकार भंग की सूचनायें उनके समक्ष विचाराधीन हैं :-

(1) श्री नंद कुमार साय एवं अन्य सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी के विरुद्ध.

(2) श्री गणेश शंकर बाजपेयी एवं श्री धर्मजीत सिंह, सदस्यों द्वारा श्री बृजमोहन अग्रवाल के विरुद्ध.

(3) श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं दस अन्य सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री, गृह मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध.

(4) श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं चार अन्य सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री के विरुद्ध.

(5) श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री महेश तिवारी एवं चार अन्य सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री के विरुद्ध.

इस सदन के सदस्य एवं राज्य शासन के वन मंत्री के विरुद्ध दलबदल संबंधी सदस्य श्री बनवारीलाल अग्रवाल की सूचना भी उनके समक्ष विचाराधीन है.

ध्यानाकर्षण

व्यवधान के बीच माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में दर्ज निम्नलिखित माननीय सदस्यों की ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में पढ़ी हुई तथा उनके वक्तव्य सदन में रखे हुए माने जायेंगे :-

(1) श्रीमती रानी रत्नमाला देवी, सदस्य की चंद्रपुर विधान सभा क्षेत्र की मांड परियोजना की नहरों के रख-रखाव का कार्य पूर्ण कराये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(2) श्रीमती श्यामा ध्रुवा, सदस्य की कांकेर के मत्स्य विभाग में पदस्थ सहायक संचालक द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा मछलीपालन मंत्री का वक्तव्य.

(3) इंजीनियर रामेश्वर खरे, सदस्य की जिला बिलासपुर के ग्राम जांजी स्थित डॉ. भीमराव आम्बेडकर क्रिकेट मैदान की शिलान्यास पट्टिका को एन.टी.पी.सी. के अधिकारियों द्वारा तोड़े जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(4) श्री गुलाब, सदस्य की मनेन्द्रगढ़ में पदस्थ नगर निरीक्षक द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(5) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, अमर अग्रवाल, सदस्य की जिला सहकारी बैंक रायपुर में नियम विरुद्ध भर्ती करने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य.

(6) श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्रीमती श्यामा ध्रुवा, श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की बस्तर जिले के विकासखण्ड बकावन की आदिवासी युवतियों को वेश्यावृत्ति कराने हेतु मुंबई ले जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(7) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में सौदा पत्रक पद्धति बंद करने से किसानों को हो रही परेशानी संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य.

(8) श्री महेश तिवारी, सदस्य की रायपुर जिले के शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र, बलौदा बाजार में पदस्थ चिकित्सक द्वारा अवैध कार्य किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(9) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, रायपुर, धमतरी तथा महासमुन्द जिले में बारदानों के विक्रय में हुई अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य.

(10) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, सदस्य की प्रदेश में दवा विक्रेताओं के पंजीयन में अनियमितता किए जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(11) श्री प्रेम सिंह सिदार, सदस्य की रायगढ़ जिले में मोहन जूट मिल बंद होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा श्रम मंत्री का वक्तव्य.

(12) श्री महेश तिवारी, सदस्य की सरगुजा जिले में स्थित हिण्डालको माईन्स कारखाने में नक्सलियों द्वारा तोड़फोड़ किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(13) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की अकलतरा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नवापारा के पूर्व सरपंच द्वारा शासकीय राशि का गबन किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.

(14) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की जांजगीर-नैला एवं चांपा नगरपालिका में संचालित आई.डी.एस.एन.टी. योजना में अनियमितता संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य.

विशेषाधिकार की अग्राह्य की गई सूचनाएँ

(1) श्री बनवारीलाल अग्रवाल की मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष, विधान सभा के विरुद्ध.

(2) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य की श्री सी.एस. मालवीय, तत्कालीन जिला पंचायत अधिकारी, जिला पंचायत धमतरी के विरुद्ध.

(3) श्री बृजमोहन अग्रवाल की पी.ई.टी./पी.एम.टी. परीक्षा समाप्त करने एवं अशासकीय विद्यालयों के अनुदान कटौती के निर्णय को वापस लेने के निर्णय की जानकारी सदन को न देने बाबत् छत्तीसगढ़ शासन के विरुद्ध.

(4) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य की जिलाध्यक्ष कोरबा एवं पुलिस अधीक्षक, कोरबा के विरुद्ध.

(5) श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री अमर अग्रवाल, श्री शिवरतन शर्मा, श्री चोवादास खांडेकर एवं डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य की गृह मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध.

(6) श्री भानुप्रताप सिंह एवं श्री मदन गोपाल सिंह की श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के विरुद्ध.

(7) श्री नन्दकुमार साय, श्री महेश तिवारी, श्री बनवारीलाल अग्रवाल की गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध.

लगातार व्यवधान जारी रहने से अध्यक्ष महोदय द्वारा 12 बजकर 6 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित-काल के लिए स्थगित की गई.

छत्तीसगढ़ विधानसभा

संक्षिप्त कार्य विवरण पुस्तिका

फरवरी- अप्रैल, 2001 (द्वितीय सत्र)

शुद्धि पत्र

पृष्ठ क्रमांक	पंक्ति क्रं. /सन्दर्भ	अशुद्ध	शुद्ध
5	24	ंद्राकर	चन्द्राकर
2,67,69,70	26,34,21,31	हर्षद मेहता	हरषद मेहता
3,4,6,8,11 13,18,21,23, 24,28,35,41, 44,46,52,56, 59,62,65,75	4	पीठसीन	पीठासीन
15	18	धर्म कौशिक	धरम कौशिक
16,43,45	13,15,22	प्रतिभा चन्द्राकर	प्रतिमा चन्द्राकर
28,36,28	16,33,26	धनेश पाटिला	धनेश पटिला
45	30	खमा	लखमा
48	12	डोमेंद्र भेड़िया	डोमेंद्र भेंडिया
52	12	निर्ण	निर्णय
53	8	ंधी	संबंधी
53	12	रा	द्वारा
53	15	133	33
54	6	चौबादास	चोवादास
54,61,64,78	19,9,14,12	मन्तूराम	मन्तुराम
6,4,76	16,20	फूलोदेवी	फुलोदेवी
72	21	प्रो. गोपाल	प्रो. गोपालराम
84	4	साद	प्रसाद